भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1744

दिनांक 4 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

सभी के लिए विद्‌युत पहल

1744. डा. अशोक कुमार मित्तलः

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या "सभी के लिए विद्‌युत" पहल के अंतर्गत विद्‌युत उत्पादन और पारेषण अवसंरचना के विस्तार की प्रगति की निगरानी के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण और परियोजना में विलंब जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बन सकती हैं;

(ग) विद्‌युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा अवसंरचना की क्षमता के आकलन का ब्यौरा क्या है, यदि हाँ, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) विशेष रूप से अल्पसेवित और दूरदराज के क्षेत्रों में विद्‌युत का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्‌युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : चूँकि विद्‌युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों या क्षेत्रों को विद्‌युत आपूर्ति और वितरण, संबंधित राज्य सरकार या विद्‌युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आवश्यक मात्रा में विद्‌युत की व्यवस्था करना संबंधित वितरण लाइसेंसधारियों की ज़िम्मेदारी है। "सभी के लिए विद्‌युत" पहल के अंतर्गत, भारत सरकार राज्य सरकारों और विद्‌युत यूटिलिटी को अंतिम उपभोक्ताओं की सेवा के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता और एक मज़बूत पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करती है।

देश में विद्‌युत की पर्याप्त उपलब्धता है। दिनांक 30.06.25 तक, देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 484.8 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 260.78 गीगावाट की नई उत्पादन

क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी संबंधी गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी की स्थिति से विद्युत की पर्याप्तता की स्थिति में पहुँच गया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा मई, 2023 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 874 गीगावाट होने का अनुमान है, जिसमें 573.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है। ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने और परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रभावी एकीकरण को सुगम बनाने के लिए, राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) में वर्ष 2031-32 तक 47.2 गीगावाट की कुल क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (बीईएसएस) और 22.4 गीगावाट क्षमता वाले पंप्ड भंडारण संयंत्र (पीएसपी) संस्थापित करने की आवश्यकता रेखांकित की गई है।

इसके अलावा, भारत की राष्ट्रीय पारेषण अवसंरचना सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय विद्युत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित है। विद्युत अधिशेष वाले क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण को सुगम बनाने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया गया है।

अंतर-राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप समय-सीमा में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2031-32 तक लगभग 152.7 हजार सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,052 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई/कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी स्थल भ्रमण और विकासकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता है। विद्युत मंत्रालय अंतर-मंत्रालयी बाधाओं को दूर करने और लंबित मामलों के समाधान को सुगम बनाने के लिए राज्य एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के लक्ष्यों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और विद्युत मंत्रालय के बीच वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में शामिल किया जाता है, जिसकी प्रगति की समीक्षा तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों के दौरान की जाती है। परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) और प्रगति पोर्टल सक्रिय प्रबंधन के लिए मासिक परियोजना समीक्षा को सक्षम बनाते हैं। इन तंत्रों का उद्देश्य विद्युत परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करना और उनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है।

(ii) संशोधित आरओडबल्यू (राइट ऑफ वे) मुआवजा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत टावर बेस क्षेत्र के लिए मुआवजा राशि संशोधित करके 200% और राइट-ऑफ-वे कॉरिडोर के लिए भूमि मूल्य का 30% कर दिया गया। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय पारेषण लाइनें बिछाने के लिए राइट-ऑफ-वे मुआवजे के भुगतान के सीमित उद्देश्य हेतु भूमि की बाजार दर का आकलन करने के लिए पूरक दिशानिर्देश जारी किए गए।

(घ) : वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों सहित विद्युत का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए वितरण अवसंरचना को बढ़ाने हेतु राज्यों/वितरण यूटिलिटी को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सरकार ने विद्युत की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार के लिए **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)** और **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)** जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान किया है। ये योजनाएं विद्युत वितरण अवसंरचना को मज़बूत करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ दिनांक 31.03.2022 को पूर्ण हो गई हैं।

(ii) **जुलाई, 2021** में **पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)** शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर और कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग के लिए **2.82 लाख करोड़ रुपये** की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिससे वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को लाभ होगा।

(iii) सरकार **सौभाग्य** योजना के दौरान छूटे हुए **ग्रिड-आधारित घरेलू विद्युतीकरण** को निरंतर सहायता प्रदान कर रही है। अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 13,61,960 घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,486.67 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें **पीएम-जनमन** (प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों, **डीए-जेजीयूए** (धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत चिह्नित अनुसूचित जनजातियों के घरों और **पीएम-अजय** (प्रधानमंत्री वंचित जाति अभ्युदय योजना) के अंतर्गत चिह्नित घरों के लिए विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1746
दिनांक 04 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विभिन्न राज्यों में बिजली की कटौती और स्थिर आपूर्ति के लिए उपाय

1746. श्री नारायण दास गुप्ताः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फ्रिक्वेन्सी, अवधि और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों सहित बिजली की कटौती का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बिजली की कटौती में वृद्धि के प्रमुख कारक क्या हैं, जैसे कि बुनियादी ढाँचे से जुड़ी समस्याएँ, ईंधन की कमी और मौसमी माँग में उतार-चढ़ाव;

(ग) विशेष रूप से उन राज्यों में, जो बार-बार बिजली की कटौती का सामना कर रहे हैं, बिजली की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) बुनियादी ढाँचे के उन्नयन, क्षमता विस्तार और बेहतर वितरण के लिए चालू/आगामी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रभावित परिवारों और कारोबार के लिए मुआवज़ा या राहत कार्यक्रम सहित सहायता तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 484.819 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 260.784 गीगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी जैसी गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता की स्थिति में परिवर्तित हो गया है। इसके अलावा, वर्ष 2014 से 2,04,069 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइन, 8,29,157 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता और 84,390 मेगावाट

अंतर-क्षेत्रीय क्षमता में वृद्धि की गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,20,340 मेगावाट विद्युत अंतरण की क्षमता प्राप्त हुई है।

पिछले छह (06) माह (जनवरी, 2025 से जून, 2025) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण **अनुबंध-I** पर है। यह दर्शाता है कि आपूर्ति की गई ऊर्जा, ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप है। अखिल भारतीय स्तर पर मासिक आधार पर औसतन केवल 46 एमयू ऊर्जा की कमी है, जो कुल मासिक औसत ऊर्जा आपूर्ति का मात्र 0.03% है। ऊर्जा की यह मामूली कमी भी आमतौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होती है।

देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। दिनांक 28.07.2025 की स्थिति के अनुसार, घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) तापविद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में कोयले का भंडार 51.18 मिलियन टन (एमटी) है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 44.11 मिलियन टन (एमटी) था, जो कोयला भंडार में 16% की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी की है। देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) जलविद्युत आधारित उत्पादन को इस प्रकार शेड्यूल किया जा रहा है कि उच्चतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जल का संरक्षण किया जा सके।

(ii) उच्च मांग की अवधि के दौरान उत्पादन इकाइयों के नियोजित अनुरक्षण को न्यूनतम किया जाता है।

(iii) ईंधन की कमी से बचने के लिए सभी तापविद्युत संयंत्रों में कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

(iv) एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ अन्य विद्युत उत्पादकों के को उच्च विद्युत मांग की अवधि के दौरान शेड्यूल किया जाता है।

(v) आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित सभी विद्युत उत्पादन कंपनियों को नियोजित अनुरक्षण या बाध्य कटौती की अवधि को छोड़कर, दैनिक आधार पर उत्पादन करने और पूर्ण उपलब्धता बनाए रखने की सलाह दी गई है।

(vi) विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत अंतरण की सुगमता के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया गया है। विद्युत उत्पादन और विद्युत मांग में वृद्धि के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

(vii) निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी की जा रही है ताकि क्षमता वृद्धि को सुगम बनाया जा सके।

(viii) पावर एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम), और हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएएम) को जोड़कर विद्यत बाजार में सुधार किया गया है। इसके अलावा, डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत की खरीद के लिए ई-बिडिंग और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (कुशल विद्युत मूल्य की खोज) की शुरुआत की गई है।

(घ) : भारत सरकार ने अवसंरचना के उन्नयन, क्षमता विस्तार और बेहतर वितरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. उत्पादन योजना:

(i) वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों - कोयला, लिग्नाइट आदि, नवीकरणीय स्रोतों - सौर, पवन एवं जलविद्युत से प्राप्त क्षमता शामिल है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित उच्चतम माँग से अधिक रहे, सभी राज्यों ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10 वर्षीय रॉलिंग योजनाएँ हैं और जिनमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय योजना भी शामिल है।

(iii) सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार, सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता सृजन की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई है।

(iv) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किए हैं:

(क) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापविद्युत (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट है, जबकि दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित तापविद्युत क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

कई पहल पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। अप्रैल, 2023 से जून, 2025 तक लगभग 11,680 मेगावाट की तापविद्युत क्षमताएँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 38,935 मेगावाट (5,695 मेगावाट संकटग्रस्त तापविद्युत परियोजनाओं सहित) तापविद्युत क्षमता वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में 15,440 मेगावाट तापविद्युत क्षमता के अनुबंध अवार्ड किए जा चुके हैं और इनका

निर्माण कार्य पूरा होना है। देश में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 35,460 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में नियोजन के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 13,463.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 9802 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएँ नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता नियोजन और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 74,150 मेगावाट सौर ऊर्जा, 30,080 मेगावाट पवन ऊर्जा और 53,750 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा सहित 1,58,450 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 46,010 मेगावाट सौर ऊर्जा और 15,990 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा सहित 62,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता नियोजन के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 8250 मेगावाट/49500 मेगावाट घंटा पम्प भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 5780 मेगावाट/34680 मेगावाट घंटा क्षमता की पम्प भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) स्वीकृत हैं और अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। इनमें से 3500 मेगावाट/21000 मेगावाट घंटा क्षमता वाली पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) की बोली प्रक्रिया चल रही है और 15,829 मेगावाट/51,106 मेगावाट घंटा क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

चालू/आगामी क्षमता वृद्धि परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

2. पारेषण योजना: अंतर-राज्यीय और अंत: राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि की समय-सीमा के अनुरूप इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

3. वितरण प्रणाली योजना:

(i) भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरूआत की। इस स्कीम के तहत, वितरण यूटिलिटी के लिए 2.82 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है।

(ii) भारत सरकार आरडीएसएस के तहत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को आगे भी सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिह्नित सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती परिवारों का स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया जा रहा है। अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 13.59 लाख परिवारों के विद्युतीकरण के लिए 6,486 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

केंद्र एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 2025 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे क्रमशः 22.6 घंटे और 23.4 घंटे हो गए हैं।

(ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57, उपयुक्त आयोग को लाइसेंसधारी के कार्यनिष्पादन के मानकों को निर्धारित करने और लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा न करने की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए मुआवजे की व्यवस्था करने का अधिकार देती है।

उपभोक्ता संरक्षण की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किए हैं। ये नियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए उन्हें विशिष्ट अधिकार और समय-सीमा प्रदान करके उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर लक्षित है।

ये नियम राज्य विद्युत आयोग द्वारा वितरण लाइसेंसधारियों के कार्यनिष्पादन के मानकों की अधिसूचना और इन मानकों के उल्लंघन के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले मुआवजे को अधिसूचित करने का अधिकार देते हैं। वितरण लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के मानकों में दोषपूर्ण मीटरों को बदलने में लगने वाला समय, बिल जारी करने की समयावधि, वोल्टेज संबंधी शिकायतों और बिल संबंधी शिकायतों के निवारण की समयावधि आदि शामिल हैं। नियमों में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) की स्थापना का भी प्रावधान है।

नियम में वितरण लाइसेंसधारी को अपनी वेबसाइट, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और अपने विभिन्न क्षेत्र-वार निर्दिष्ट कार्यालयों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवेदन जमा करने, आवेदनों की स्थिति की निगरानी, बिलों का भुगतान, दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति आदि जैसी विभिन्न सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है।

****

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1746

अनुबंध-I(1/2)

जनवरी, 2025 से मार्च, 2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति (पीएसपी) का विवरण:

राज्य	जनवरी-25				फ़रवरी-25				मार्च-25			
	ऊर्जा आवश्यकता	उपलब्ध ऊर्जा	अधिशेष/कमी		ऊर्जा आवश्यकता	उपलब्ध ऊर्जा	अधिशेष/कमी		ऊर्जा आवश्यकता	उपलब्ध ऊर्जा	अधिशेष/कमी	
	एमयू	एमयू	एमयू	%	एमयू	एमयू	एमयू	%	एमयू	एमयू	एमयू	%
चंडीगढ़	138	138	0	0.0	108	108	0	0.0	109	109	0	0.0
दिल्ली	2,587	2,586	0	0.0	2,041	2,041	0	0.0	2,319	2,319	0	0.0
हरियाणा	4,725	4,725	0	0.0	4,394	4,394	0	0.0	4,544	4,544	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,195	1,194	-1	-0.1	1,061	1,060	-2	-0.1	1,055	1,053	-3	-0.2
जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	2,080	2,076	-4	-0.2	1,730	1,728	-2	-0.1	1,848	1,844	-3	-0.2
पंजाब	4,753	4,753	0	0.0	4,282	4,282	0	0.0	4,853	4,853	0	0.0
राजस्थान	10,119	10,119	0	0.0	9,650	9,650	0	0.0	9,284	9,284	0	0.0
उत्तर प्रदेश	11,303	11,301	-2	0.0	9,920	9,919	-1	0.0	11,510	11,507	-2	0.0
उत्तराखंड	1,361	1,361	0	0.0	1,183	1,183	0	0.0	1,210	1,209	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	**38,390**	**38,381**	**-8**	**0.0**	**34,477**	**34,473**	**-4**	**0.0**	**36,740**	**36,731**	**-9**	**0.0**
छत्तीसगढ़	3,553	3,551	-2	-0.1	3,734	3,726	-9	-0.2	4,426	4,426	0	0.0
गुजरात	12,537	12,537	0	0.0	12,007	12,007	0	0.0	13,637	13,634	-3	0.0
मध्य प्रदेश	10,124	10,108	-16	-0.2	9,761	9,748	-13	-0.1	9,111	9,102	-10	-0.1
महाराष्ट्र	17,649	17,648	-1	0.0	16,914	16,914	0	0.0	19,361	19,361	0	0.0
दमन और दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली	924	924	0	0.0	850	850	0	0.0	926	926	0	0.0
गोवा	445	445	0	0.0	424	424	0	0.0	507	507	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**46,179**	**46,160**	**-19**	**0.0**	**44,542**	**44,520**	**-22**	**0.0**	**49,099**	**49,087**	**-13**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	6,333	6,333	0	0.0	6,553	6,552	0	0.0	7,584	7,584	0	0.0
तेलंगाना	8,165	8,165	0	0.0	8,410	8,410	0	0.0	9,828	9,828	0	0.0
कर्नाटक	8,736	8,736	0	0.0	8,872	8,871	0	0.0	10,396	10,396	0	0.0
केरल	2,604	2,604	0	0.0	2,521	2,521	0	0.0	3,021	3,021	0	0.0
तमिलनाडु	9,747	9,747	0	0.0	10,187	10,187	0	0.0	11,902	11,902	0	0.0
पांडिचेरी	256	256	0	0.0	253	253	0	0.0	305	305	0	0.0
लक्षद्वीप	6	6	0	0.0	6	6	0	0.0	7	7	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**35,844**	**35,844**	**0**	**0.0**	**36,799**	**36,798**	**-1**	**0.0**	**43,041**	**43,041**	**0**	**0.0**
बिहार	3,082	3,064	-18	-0.6	2,695	2,693	-2	-0.1	3,217	3,214	-2	-0.1
डीवीसी	2,176	2,176	0	0.0	1,939	1,939	0	0.0	2,170	2,170	0	0.0
झारखंड	1,214	1,214	0	0.0	1,089	1,087	-2	-0.2	1,253	1,252	-1	-0.1
उड़ीसा	3,130	3,130	0	0.0	3,023	3,023	0	0.0	3,683	3,683	0	0.0
पश्चिम बंगाल	4,744	4,742	-3	-0.1	4,579	4,577	-2	0.0	6,087	6,086	-2	0.0
सिक्किम	61	61	0	0.0	58	58	0	0.0	54	54	0	0.0
अंडमान-निकोबार	35	34	-1	-2.0	35	34	-1	-2.9	39	38	-1	-2.8
पूर्वी क्षेत्र	**14,412**	**14,391**	**-20**	**-0.1**	**13,388**	**13,382**	**-6**	**0.0**	**16,471**	**16,466**	**-5**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	95	95	0	0.0	94	94	0	0.0	94	94	0	0.0
असम	853	853	0	0.0	795	795	0	0.0	946	946	0	0.0
मणिपुर	114	114	0	0.0	98	93	-4	-4.4	96	90	-6	-5.8
मेघालय	204	204	0	0.0	155	155	0	0.0	172	172	0	0.0
मिजोरम	70	70	0	0.0	60	60	0	-0.2	63	63	0	0.0
नागालैंड	75	75	0	0.0	70	70	0	0.0	73	73	0	0.0
त्रिपुरा	128	128	0	0.0	124	124	0	0.0	159	159	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1,539**	**1,539**	**0**	**0.0**	**1,397**	**1,393**	**-4**	**-0.3**	**1,604**	**1,599**	**-6**	**-0.3**
अखिल भारतीय स्तर	**1,36,363**	**1,36,316**	**-48**	**0.0**	**1,30,604**	**1,30,565**	**-38**	**0.0**	**1,46,955**	**1,46,923**	**-32**	**0.0**

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1746
अनुबंध-I(2/2)

अप्रैल, 2025 से जून, 2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और क्षेत्रवार विद्युत आपूर्ति स्थिति (पीएसपी) का विवरण:

राज्य	अप्रैल-25				मई-25				जून-25			
	ऊर्जा आवश्यकता	उपलब्ध ऊर्जा	अधिशेष/कमी		ऊर्जा आवश्यकता	उपलब्ध ऊर्जा	अधिशेष/कमी		ऊर्जा आवश्यकता	उपलब्ध ऊर्जा	अधिशेष/कमी	
	एमयू	एमयू	एमयू	%	एमयू	एमयू	एमयू	%	एमयू	एमयू	एमयू	एमयू
चंडीगढ़	150	150	0	0.0	191	191	0	0.0	214	214	0	0.0
दिल्ली	3,181	3,180	-1	0.0	3,880	3,878	-2	-0.1	4,242	4,241	-1	0.0
हरियाणा	5,224	5,210	-13	-0.3	6,229	6,215	-14	-0.2	7,364	7,331	-33	-0.4
हिमाचल प्रदेश	1,022	1,019	-3	-0.3	1,161	1,156	-5	-0.4	1,204	1,201	-3	-0.3
जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	1,625	1,624	-1	-0.1	1,557	1,556	-1	0.0	1,671	1,667	-4	-0.2
पंजाब	5,247	5,227	-20	-0.4	6,540	6,535	-5	-0.1	9,097	9,097	0	0.0
राजस्थान	8,842	8,842	0	0.0	9,716	9,716	0	0.0	9,479	9,479	0	0.0
उत्तर प्रदेश	13,075	13,072	-2	0.0	16,117	16,117	0	0.0	16,837	16,833	-3	0.0
उत्तराखंड	1,325	1,317	-8	-0.6	1,531	1,530	-1	-0.1	1,571	1,570	-1	-0.1
उत्तरी क्षेत्र	**39,821**	**39,772**	**-49**	**-0.1**	**47,061**	**47,034**	**-27**	**-0.1**	**51,816**	**51,770**	**-46**	**-0.1**
छतीसगढ़	4,298	4,298	0	0.0	3,624	3,624	0	0.0	3,552	3,550	-2	-0.1
गुजरात	14,834	14,834	0	0.0	13,828	13,828	0	0.0	13,091	13,091	0	0.0
मध्य प्रदेश	9,199	9,199	0	0.0	8,525	8,523	-2	0.0	7,444	7,444	0	0.0
महाराष्ट्र	19,769	19,769	0	0.0	17,029	17,027	-1	0.0	15,597	15,597	0	0.0
दमन और दीव एवं द.न.हवेली	963	963	0	0.0	948	948	0	0.0	934	934	0	0.0
गोवा	534	534	0	0.0	502	502	0	0.0	450	450	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**50,786**	**50,786**	**0**	**0.0**	**45,515**	**45,512**	**-4**	**0.0**	**42,170**	**42,168**	**-2**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	7,134	7,134	0	0.0	6,671	6,671	0	0.0	6,667	6,667	0	0.0
तेलंगाना	7,354	7,354	0	0.0	6,042	6,042	0	0.0	6,295	6,295	0	0.0
कर्नाटक	8,780	8,780	0	0.0	7,343	7,343	0	0.0	6,823	6,823	0	0.0
केरल	2,848	2,848	0	0.0	2,758	2,758	0	0.0	2,409	2,409	0	0.0
तमिलनाडु	11,902	11,902	0	0.0	11,383	11,383	0	0.0	11,532	11,532	0	0.0
पांडिचेरी	321	320	-1	-0.4	316	316	0	-0.1	311	311	0	0.0
लक्षद्वीप	7	7	0	0.0	7	7	0	0.0	6	6	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**38,342**	**38,341**	**-1**	**0.0**	**34,516**	**34,516**	**0**	**0.0**	**34,041**	**34,041**	**0**	**0.0**
बिहार	3,644	3,644	0	0.0	4,415	4,412	-4	-0.1	4,657	4,657	0	0.0
डीवीसी	2,111	2,111	0	0.0	2,178	2,177	-1	0.0	2,079	2,079	0	0.0
झारखंड	1,255	1,255	0	0.0	1,350	1,349	-1	-0.1	1,326	1,326	0	0.0
उड़ीसा	3,773	3,773	0	0.0	4,114	4,112	-2	0.0	3,942	3,942	0	0.0
पश्चिम बंगाल	6,630	6,630	0	0.0	6,940	6,922	-18	-0.3	7,075	7,075	0	0.0
सिक्किम	46	46	0	0.0	41	41	0	0.0	42	42	0	0.0
अंडमान-निकोबार	37	36	-1	-3.0	37	36	-1	-3.4	34	33	-1	-1.8
पूर्वी क्षेत्र	**17,464**	**17,464**	**0**	**0.0**	**19,046**	**19,020**	**-26**	**-0.1**	**19,127**	**19,127**	**0**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	86	86	0	0.0	97	97	0	0.0	99	99	0	0.0
असम	1,012	1,012	0	0.0	1,136	1,136	0	0.0	1,358	1,358	0	0.0
मणिपुर	88	86	-2	-2.5	97	97	0	0.0	89	88	0	-0.2
मेघालय	164	164	0	0.0	168	168	0	0.0	162	162	0	0.0
मिजोरम	60	60	0	0.0	60	60	0	0.0	57	57	0	0.0
नागालैंड	76	76	0	0.0	82	82	0	0.0	86	86	0	0.0
त्रिपुरा	166	166	0	0.0	169	169	0	0.0	177	177	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,653**	**1,651**	**-2**	**-0.1**	**1,810**	**1,810**	**0**	**0.0**	**2,029**	**2,029**	**0**	**0.0**
अखिल भारतीय स्तर	**1,48,066**	**1,48,013**	**-52**	**0.0**	**1,47,948**	**1,47,892**	**-57**	**0.0**	**1,49,183**	**1,49,135**	**-48**	**0.0**

****

निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का विवरण:

(दिनांक 30-06-2025 तक)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)
वित्तीय वर्ष 2025-26					
1	उत्तरी चेन्नई टीपीपी, स्टेज-III (टीएनजेनको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-6	800
2	यदाद्रि टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-1	800
3	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-1	800
4	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	बिहार	यू-1	660
5	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	660
6	सागरदिघी टीपीपी स्टेज-III (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	राज्य	पश्चिम बंगाल	यू-5	660
7	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-2	660
8	उड़ानगुड़ी एसटीपीपी स्टेज-I (टीएनजीईएनसीओ)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	660
9	यदाद्रि टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-4	800
10	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	बिहार	यू-2	660
11	उड़ानगुड़ी एसटीपीपी स्टेज-I (टीएनजीईएनसीओ)	राज्य	तमिलनाडु	यू-2	660
12	यदाद्रि टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-3	800
13	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश	यू-3	660
14	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-2	800
15	यदाद्रि टीपीएस (टीएसजेनको)	राज्य	तेलंगाना	यू-5	800
				उप योग	**10880**
वित्तीय वर्ष 2026-27					
16	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केन्द्रीय	झारखंड	यू-3	800
17	एन्नोर एससीटीपीपी (टैंजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-1	660
18	एन्नोर एससीटीपीपी (टैंजेडको)	राज्य	तमिलनाडु	यू-2	660
19	महान एसटीपीपी, स्टेज-II (महान एनर्जी)	निजी	एम. पी.	यू-3	800
				उप योग	**2920**
वित्तीय वर्ष 2027-28					
20	महान एसटीपीपी, स्टेज-II (महान एनर्जी)	निजी	एम. पी.	यू-4	800
21	तालचेर टीपीपी स्टेज-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-1	660
22	तालचेर टीपीपी स्टेज-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-2	660
23	लारा एसटीपीपी स्टेज-II (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	छत्तीसगढ	यू-3	800
24	रायपुर एक्सटेंशन टीपीपी, पीएच-II/अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ	यू-3	800
25	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, स्टेज-II/ अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ	यू-3	800
				उप योग	**4520**
वित्तीय वर्ष 2028-29					
26	लारा एसटीपीपी स्टेज-II (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	छत्तीसगढ	यू-4	800
27	रायपुर एक्सटेंशन टीपीपी, फेज-II/अडानी पावर	निजी	छत्तीसगढ	यू-4	800

28	रायगढ़ यूएससीटीपीपी, स्टेज-II/ अदानी पावर	निजी	छत्तीसगढ	यू-4	800
29	कोडरमा टीपीएस, स्टेज-II/डीवीसी	केन्द्रीय	झारखंड	यू-1	800
30	कोडरमा टीपीएस, स्टेज-II/डीवीसी	केन्द्रीय	झारखंड	यू-2	800
31	रघुनाथपुर टीपीएस, फेज-II/डीवीसी	केन्द्रीय	पश्चिम बंगाल	यू-3	660
32	सिंगरेनी टीपीपी, फेज-II/एससीसीएल	राज्य	तेलंगाना	यू-3	800
33	एनएलसी तालाबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-1	800
				उप योग	**6260**
वित्तीय वर्ष 2029-30					
34	रघुनाथपुर टीपीएस, फेज-II/डीवीसी	केन्द्रीय	पश्चिम बंगाल	यू-4	660
35	सिंगरौली एसटीपीपी, स्टेज-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	यूपी	यू-8	800
36	नबीनगर एसटीपीपी, स्टेज-II (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	बिहार	यू-4	800
37	एनएलसी तालाबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-2	800
38	डीसीआर टीपीपी एक्सटेंशन, /एचपीजीसीएल	राज्य	हरियाणा	यू-1	800
39	सीपत एसटीपीपी, स्टेज-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	छत्तीसगढ	यू-1	800
40	उकाई टीपीपी/जीएसईसीएल	राज्य	गुजरात	यू-7	800
41	सिंगरौली एसटीपीपी, स्टेज-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	यूपी	यू-9	800
42	नबीनगर एसटीपीपी, स्टेज-II (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	बिहार	यू-5	800
43	एनएलसी तालाबीरा टीपीपी (एनएलसी)	केन्द्रीय	ओडिशा	यू-3	800
				उप योग	**7860**
वित्तीय वर्ष 2030-31					
44	नबीनगर एसटीपीपी, स्टेज-II (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	बिहार	यू-6	800
				उप योग	**800**
				महा योग	**33240**

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1746

अनुबंध-II(2/5)

संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	युनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	थम्मिनापट्टनम टीपीपी	मेसर्स वेदांता लिमिटेड	यू-4	350
2	सिंघीतराई टीपीपी	मेसर्स वेदांता लिमिटेड	यू-1	600
3	सिंघीतराई टीपीपी	मेसर्स वेदांता लिमिटेड	यू-2	600
4	कोरबा फेज-II टीपीपी (लैंको) अमरकंटक टीपीपी)	मेसर्स अदानी पावर	यू-3	660
5	कोरबा फेज-II टीपीपी (लैंको) अमरकंटक टीपीपी)	मेसर्स अदानी पावर	यू-4	660
6	मालीब्राह्मणी टीपीपी	मेसर्स जिंदल पावर	यू-2	525
7	इंड भारत(उत्कल)	मेसर्स जेएसडब्ल्यू	यू-2	350
8	केएसके महानदी	मेसर्स जेएसडब्ल्यू		600
9	नासिक (सिनार टीपीपी)	समाधानाधीन		1350
	कुल			**5695**

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1746

अनुबंध-II(3/5)

कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

क्रम सं.	स्कीम का नाम (कार्यकारी एजेंसी)	क्षेत्र	ज़िला	निर्माणाधीन क्षमता (मेगावाट)	नदी/जलाशय
	आंध्र प्रदेश				
1	पोलावरम (एपीजेनको/ सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश)	राज्य	पूर्व एवं पश्चिम गोदावरी	960.00	गोदावरी/ईएफआर
2	लोअर सिलेरू एक्सटेंशन (एपीजेनको)	राज्य	अल्लूरी सीतामराजू	230.00	सिलेरू/गोदावरी
	उप-योग: आंध्र प्रदेश			**1190.00**	
	अरुणाचल प्रदेश				
3	सुबनसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	लोअर सुबनसिरी	2000.00	सुबनसिरी/ब्रह्मपुत्र
4	दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	लोअर दिबांग घाटी	2880.00	दिबांग/ब्रह्मपुत्र
5	हेयो	केन्द्रीय	पश्चिम सियांग	240.00	यार्जेप नदी
6	तातो-I	केन्द्रीय	शि-योमी	186.00	सियोम नदी
	उप-योग: अरुणाचल प्रदेश			**5306.00**	
	असम				
7	लोअर कोपली (एपीजीसीएल)	राज्य	दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग	120.00	कोपिली/ ब्रह्मपुत्र
	उप-योग: असम			**120.00**	
	हिमाचल प्रदेश				
8	लुहरी-I (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	कुल्लू/शिमला	210.00	सतलुज/सिंधु
9	धौलासिद्ध (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	हमीरपुर/कांगड़ा	66.00	ब्यास/सिंधु
10	सुन्नी बांध (एसजेवीएन)	केन्द्रीय	शिमला/मंडी	382.00	सतलुज
11	शोंगटोंग करचम (एचपीपीसीएल)	राज्य	किन्नौर	450.00	सतलुज/सिंधु
12	चांजू-III (एचपीपीसीएल)	राज्य	चंबा	48.00	चांजू नाला
13	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	किन्नौर	150.00	टिडोंग/सतलुज/सिंधु
14	कुतेहर (जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड)	निजी	चंबा	240.00	रावी/सिंधु
	उप-योग: हिमाचल प्रदेश			**1546.00**	
	जम्मू एवं कश्मीर				
15	पाकल दुल (सीवीपीपीएल)	केन्द्रीय	किश्तवाड़	1000.00	मरुसदर/चिनाब/
16	किरू (सीवीपीपीएल)	केन्द्रीय	किश्तवाड़	624.00	सिंधु
17	रतले (आरएचईपीपीएल/एनएचपीसी)	केन्द्रीय	किश्तवाड़	850.00	चिनाब/सिंधु
18	क्वार (सीवीपीपीपीएल)	केन्द्रीय	किश्तवाड़	540	चिनाब/सिंधु
19	परनाई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	पूंछ	37.50	चिनाब/सिंधु
	उप-योग: जम्मू और कश्मीर			**3051.50**	
	केरल				

20	मंकुलम (केएसईबी)	राज्य	इडुक्की	40.00	मेलाचेरी
	उप-योग: केरल			**40.00**	
	पंजाब				
21	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	पठानकोट	206.00	रावी/ सिंधु
	उप-योग: पंजाब			**206.00**	
	सिक्किम				
22	तीस्ता सेंट VI एनएचपीसी	केन्द्रीय	दक्षिण सिक्किम	500.00	तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
23	रंगित-IV (एनएचपीसी)	केन्द्रीय	पश्चिम सिक्किम	120.00	रंगीत/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र
	उप-योग: सिक्किम			**620.00**	
	उत्तराखंड				
24	विष्णुगाड पीपलकोटी (टीएचडीसी)	केन्द्रीय	चमोली	444.00	अलकनंदा/गंगा
25	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	चमोली	520.00	धौलीगंगा / अलकनंदा और / गंगा
26	लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (यूजेवीएनएल)	राज्य	देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल	300.00	यमुना
	उप-योग: उत्तराखंड			**1264.00**	
	पश्चिम बंगाल				
27	रामम-III (एनटीपीसी)	केन्द्रीय	दार्जिलिंग	120.00	रम्मम/रंगीत/तीस्ता ब्रह्मपुत्र
	उप-योग: पश्चिम बंगाल			**120.00**	
	कुल:			**13463.50**	

कार्यान्वयनाधीन पंप भंडारण परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	ज़िला	कार्यान्वयनाधीन क्षमता (मेगावाट)	नदी का जलाशय
	आंध्र प्रदेश				
1	पिन्नापुरम	निजी	कुरनूल	480.00	ऑफ स्ट्रीम
2	चित्रावती पीएसपी	निजी	सत्य साई	500.00	चित्रावती नदी
3	अपर सिलेरू पीएसपी	राज्य	अल्लूरी सीतामराजू	1350.00	सिलेरू/गोदावरी
	उप-योग: आंध्र प्रदेश			**2330.00**	
	कर्नाटक				
4	शरावती पंप भंडारण परियोजना	राज्य	ऊपर डैम (शिमोगा) और लोअर डैम (उत्तर कन्नड़)	2000.00	शरावती/डब्ल्यूएफ आर
	उप-योग: कर्नाटक			**2000.00**	
	मध्य प्रदेश				
5	एमपी30 गांधी सागर पंप भंडारण परियोजना	निजी	नीमच	1920.00	ऑफ स्ट्रीम
	उप-योग: मध्य प्रदेश			**1920.00**	
	तमिलनाडु				
6	कुंडाह पंप स्टोरेज चरण- I, II और III)	राज्य	नीलगिरी	500.00	कुंदह/भवानी/कावेरी/ईएफआर
	उप-योग: तमिलनाडु			**500.00**	
	उत्तराखंड				
7	टिहरी पीएसएस	केन्द्रीय	टिहरी गढ़वाल	500.00	भिलंगना/भागीरथी/गंगा
	उप-योग: उत्तराखंड			**500.00**	
	महाराष्ट्र				
8	भिवपुरी पीएसपी	निजी	रायगढ़	1000.00	इंद्रायणी नदी
	उप-योग: महाराष्ट्र			**1000.00**	
	कुल			**8250.00**	

निर्माणाधीन न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजनाएं	युनिट	क्षमता(मेगावाट)
1	राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (आरएपीएस)	युनिट 8	700
2	कुडनकुलम न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु	युनिट 3,4,5 एवं 6	4000
3	पीएफबीआर, कलापक्कम, तमिलनाडु	युनिट 1	500
4	गोरखपुर एचएवीपी (जीएचएवीपी), हरियाणा	युनिट 1 एवं 2	1400
कुल			6600

पीएफबीआर: प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1747
दिनांक 4 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

टीसीईडी में आरडीएसएस का कार्यान्वयन

1747 श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के आरंभ से अब तक बजट आवंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) आरडीएसएस के अंतर्गत आरंभ से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदान की गई निधि और किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल के त्रिशूर कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट (टीसीईडी) को आरडीएसएस के अंतर्गत शामिल किया गया है, यदि हाँ, तो स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या टीसीईडी ने आरडीएसएस के अंतर्गत सब-स्टेशन निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, स्वीकृत निधियों और निर्माण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या टीसीईडी ने आरडीएसएस निधियों की उपयोगिता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) टीसीईडी में आरडीएसएस के कार्यान्वयन की वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में 3,03,758 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय और 97,631 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई थी। आरडीएसएस के अंतर्गत अब तक आवंटित बजट और जारी/व्यय निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	आवंटित बजट (करोड़ रूपये में)	जारी/व्यय (करोड़ रूपये में)
2021-22	1,000	814
2022-23	6,000	2,738
2023-24	10,400	10,064
2024-25	12,974	12,974
2025-26	16,021	4,110 (आज तक की स्थिति अनुसार)

(ख) : आरडीएसएस के अंतर्गत आवंटित धनराशि और वास्तविक व्यय का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग) और (घ) : आरडीएसएस के अंतर्गत यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर, केरल के त्रिशूर कॉर्पोरेशन विद्युत विभाग (टीसीईडी) के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना हेतु 103 करोड़ रुपये (केंद्रीय अनुदान: 52 करोड़) की परियोजनाएँ संस्वीकृत की गई हैं। इसमें नए सबस्टेशन, मौजूदा सबस्टेशन का विस्तार, फीडर विभाजन, भूमिगत केबल बिछाने का कार्य, एससीएडीए/डीएमएस (पर्यवेक्षी नियंत्रण और आंकडा अधिग्रहण/वितरण प्रबंधन प्रणाली) आदि कार्य शामिल हैं।

(ङ) : आरडीएसएस के अंतर्गत, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से धनराशि जारी की जाती है। पहले चरण (कुल केंद्रीय अनुदान का 10% अग्रिम के रूप में) के बाद, टीसीईडी सहित वितरण यूटिलिटि को पहले से जारी धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

(च) : टीसीईडी में संस्वीकृत कार्यों में से 85% कार्य आवंटित किए जा चुके हैं। आवंटित कार्यों का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिसके पूरा होने के बाद कार्यान्वयन शुरू होगा।

****

रा.स.अतारां.प्र.स. 1747

अनुबंध

आरडीएसएस के अंतर्गत जारी धनराशि

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत केंद्रीय अनुदान	जारी/उपयोग किया गया केंद्रीय अनुदान
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	428	41
2	आंध्र प्रदेश	7,241	1,592
3	अरुणाचल प्रदेश	992	98
4	असम	4,107	1,595
5	बिहार	6,402	2,735
6	छत्तीसगढ	3,217	541
7	दिल्ली	196	0
8	गोवा	243	40
9	गुजरात	5,538	1,442
10	हरियाणा	4,078	326
11	हिमाचल प्रदेश	2,561	181
12	जम्मू एवं कश्मीर	4,803	1,553
13	झारखंड	2,272	563
14	कर्नाटक	22	5
15	केरल	3,278	452
16	लद्दाख	788	81
17	मध्य प्रदेश	7,308	2,200
18	महाराष्ट्र	13,182	2,581
19	मणिपुर	602	143
20	मेघालय	1,195	197
21	मिजोरम	351	73
22	नागालैंड	479	37
23	पुदुचेरी	107	5
24	पंजाब	3,284	229
25	राजस्थान	12,902	1,808
26	सिक्किम	409	102
27	तमिलनाडु	9,139	545
28	तेलंगाना	72	2
29	त्रिपुरा	619	153
30	उत्तर प्रदेश	16,570	5,443
31	उत्तराखंड	1,943	378
32	पश्चिम बंगाल	6,423	883
कुल		**1,20,750**	**26,024**

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आरडीएसएस शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में धनराशि जारी की गई है:

i. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और प्रधानमंत्री विकास पैकेज की सम्मिलित योजना के लिए 4,125 करोड़ रुपये।

ii. नोडल एजेंसी शुल्क, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली, गुणवत्ता निगरानी कार्य आदि के लिए 551 करोड़ रुपये।

उपर्युक्त के मद्देनजर, आज तक आरडीएसएस के अंतर्गत जारी कुल धनराशि 30,700 करोड़ रुपये है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1748

दिनांक 4 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

ग्रामीण क्षेत्रों में आरडीएसएस और विद्युतीकरण

1748# श्री तेजवीर सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आरडीएसएस के अंतर्गत कितनी वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को तकनीकी सुधारों के लिए धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस योजना से, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, ट्रांसमिशन लॉस में कोई व्यावहारिक कमी दर्ज की गई है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर, रीयल टाइम बिलिंग और मॉनिटरिंग की सुविधाएं देकर पारदर्शिता में वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या डिस्कॉम के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक डैशबोर्ड शुरू किया गया है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 53 वितरण यूटिलिटि के लिए वितरण अवसंरचना कार्यों को संस्वीकृति दी गयी है।

(ख) : इस योजना में और विभिन्न अन्य पहलों के अंतर्गत किए गए सुधार उपायों तथा केंद्र एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप, कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 2021 के 21.9% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 16.12% हो गई हैं। इसके अलावा, बिलिंग दक्षता भी वित्त वर्ष 2021 के 83.62% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 86.91% हो गई है, जो तकनीकी हानियों में सुधार का स्पष्ट संकेत है।

(ग) : स्मार्ट मीटरों का एक प्रमुख लाभ उनकी सटीक बिलिंग जानकारी प्रदान करने की क्षमता है। स्मार्ट मीटर, वितरण यूटिलिटि की बिलिंग प्रणाली में खपत के आंकड़ों को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करके और संचारित करके मैन्युअल रीडिंग के कारण होने वाली अशुद्धियों को दूर करते हैं। स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप ऊर्जा खपत पर निरंतर, विस्तृत आंकडे प्रदान करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपने उपयोग के पैटर्न की निगरानी कर सकते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहाँ वे खपत कम कर सकते हैं। विस्तृत खपत डेटा उपयोगकर्ताओं को अपने ऊर्जा उपयोग के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे संभावित रूप से लागत बचत और अधिक दक्ष ऊर्जा प्रबंधन हो सकता है। ऐप्स उपयोगकर्ताओं को खपत सीमा निर्धारित करने और पूर्व-निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग होने पर अलर्ट प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, जिससे उन्हें अप्रत्याशित रूप से उच्च बिलों से बचने में मदद मिलती है।

(घ) : वितरण यूटिलिटी का निष्पादन प्रतिवर्ष 'विद्युत यूटिलिटी के निष्पादन पर रिपोर्ट' में प्रकाशित किया जाता है, जिसमें यूटिलिटि के प्रमुख वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंड शामिल होते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1749

दिनांक 4 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

ग्रिड अस्थिरता और संकुलता

1749. श्री राघव चड्ढाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बड़े पैमाने पर एकीकरण के कारण ग्रिड अस्थिरता और संकुलता की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रिड लचीलापन बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा की निर्बाध निकासी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार अस्थिरता की समस्या से निपटने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों और ग्रिड पूर्वानुमान तंत्र को मजबूत करने पर विचार कर रही है; और

(घ) ऐसी पहलों के अंतर्गत क्या समय-सीमा और निवेश की योजना बनाई गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण, सुचारू और विश्वसनीय ग्रिड संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई चुनौतियाँ पैदा करता है। ग्रिड का अनुकूलन बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा की सुचारू निकासी सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अंतर-राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण नेटवर्क के विकास की योजना बनाई जा रही है। एंकरिंग वोल्टेज स्थिरता, कोणीय स्थिरता, हानि न्यूनीकरण आदि के संदर्भ में बेहतर विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पारेषण नेटवर्कों का मज़बूत इंटर-कनेक्शन तैयार किया जा रहा है।

(ii) हरित ऊर्जा गलियारा योजना के अंतर्गत राज्यों को उनके राज्य के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है।

(iii) पारेषण सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए भंडारण सुविधाओं के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

(iv) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता के निराकरण के लिए तापीय उत्पादन में अनुकूलन अनिवार्य है।

(v) सीईए (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम, ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के लिए न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताएँ निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी/इंटरकनेक्शन

प्रदान करने से पहले, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उक्त विनियमों के अनुपालन का सत्यापन केंद्रीय पारेषण यूटिलिटि (सीटीयूआईएल) और ग्रिड-इंडिया/आरएलडीसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

(vi) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को आकस्मिकताओं की स्थिति में प्राथमिक और द्वितीयक आवृत्ति नियंत्रण में भाग लेना अनिवार्य है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और ग्रिड को पर्याप्त फ्रीक्वेंसी सहायता प्रदान करने के लिए हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) और पीएसपी (पंप भंडारण परियोजना) को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(vii) वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की स्थिति में ग्रिड की स्थिरता उत्पादकों से पर्याप्त रिएक्टिव विद्युत सहायता पर निर्भर करती है। उत्पादकों से गतिशील रिएक्टिव विद्युत सहायता से संबंधित आवश्यकताओं को सीईए (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियमों में शामिल किया गया है। ग्रिड में गतिशील रूप से परिवर्तनशील रिएक्टिव सहायता के लिए स्टेटकॉम (स्टेटिक सिंक्रोनस कम्पेसाटर) और सिंक्रोनस कंडेन्सर जैसे विद्युत उपकरणों की योजना बनाई जा रही है।

(ग) और (घ) : हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत, देश के विभिन्न भागों में 12 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) और दक्षिण अंडमान में एक ईएमसी की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पवन और सौर परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा (वीआरई) संसाधनों का पूर्वानुमान, समय-निर्धारण और निगरानी करना है। ये आरईएमसी मौजूदा आरएलडीसी/एसएलडीसी के साथ स्थित हैं। उत्तर प्रदेश और लद्दाख में दो और आरईएमसी निर्माणाधीन हैं।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पूर्वानुमान के लिए हितधारकों के साथ सटीक मौसम संबंधी आंकड़ों को साझा करना सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करते रहते हैं। दोनों मंत्रालयों के बीच घनिष्ठ समन्वय के परिणामस्वरूप, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) विभिन्न हितधारकों के साथ मौसम पूर्वानुमान के आंकड़े साझा कर रहे हैं, जिनका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और मांग पूर्वानुमान के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए ग्रिड-इंडिया द्वारा सभी अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के मौसम संबंधी आंकड़े सुरक्षित एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के माध्यम से दिन में चार बार एनसीएमआरडब्ल्यूएफ के साथ साझा किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, मौसम पूर्वानुमान में और अधिक सुधार के लिए आंकड़ों के एकीकरण और सत्यापन हेतु रिकॉर्ड किए गए मौसम आंकड़ों का उपयोग करने के लिए आरई संयंत्रों में स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वानुमान उपकरण के विकास के लिए आईआईटी बॉम्बे को नियुक्त किया गया है। इस संबंध में, ग्रिड इंडिया ने कुल 4.09 करोड़ रुपये की लागत से पूर्वानुमान उपकरण के विकास हेतु दिसंबर 2024 में आईआईटी बॉम्बे के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तरी क्षेत्र के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पूर्वानुमान मॉडल को वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1750

दिनांक 4 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

आंध्र प्रदेश में आरडीएसएस का कार्यान्वयन

1750. श्री साना सतीश बाबू:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश और विशेषकर काकीनाडा जिले में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक कुल कितनी निधि को स्वीकृत, जारी और उपयोग में लाया गया है;

(ख) आंध्र प्रदेश में आरडीएसएस के अंतर्गत फीडर पृथक्करण, स्मार्ट मीटरिंग और बुनियादी ढांचे के उन्नयन सहित प्रमुख घटक और स्वीकृत कार्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में आरडीएसएस के अंतर्गत समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि में कमी तथा विश्वसनीयता में सुधार करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) आंध्र प्रदेश में डिस्कॉम के समयबद्ध कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और क्या किसी प्रकार के विलंब या चुनौतियों की सूचना दी गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 14,838 करोड़ रुपये (सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस): 7,241 करोड़ रुपये) की राशि संस्वीकृत की गई है, जिसमें से आज तक की स्थिति के अनुसार 1,572 करोड़ रुपये की जीबीएस जारी/उपयोग की जा चुकी है। काकीनाडा जिले के लिए, 217 करोड़ रुपये (जीबीएस: 130 करोड़ रुपये) की राशि के हानि न्यूनीकरण कार्यों को संस्वीकृत किया गया है, जिसमें से अब तक 18 करोड़ रुपये की जीबीएस जारी/उपयोग की जा चुकी है।

(ख) : आंध्र प्रदेश राज्य में आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के प्रमुख घटक हैं:

i. उपभोक्ता, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) और फीडर के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य।
ii. हानि न्यूनीकरण कार्य: फीडर पृथक्करण, फीडर द्विभाजन, पुराने/जर्जर कंडक्टर का प्रतिस्थापन, आपदा प्रतिरोधी कार्य, आईटी/ओटी कार्य और घरेलू विद्युतीकरण कार्य।

(ग) : आंध्र प्रदेश के लिए एटीएंडसी और विश्वसनीयता मेट्रिक्स के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का डिस्कॉम-वार विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(घ) : आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निगरानी और समीक्षा नोडल एजेंसी और विद्युत मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर की जा रही है। इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस दिशानिर्देशों के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी हेतु राज्य स्तर पर एक संस्थागत तंत्र, अर्थात् संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली वितरण सुधार समिति, और केंद्र स्तर पर सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति, स्थापित की गई है।

आरडीएसएस के अंतर्गत, दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन में शामिल वितरण यूटिलिटि के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक, इस स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के 1,412 यूटिलिटि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रारंभ में, तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन, राज्य सरकार की मंजूरी, समझौतों पर हस्ताक्षर, जीटीपी अनुमोदन आदि जैसे प्रशासनिक अनुमोदनों में देरी के कारण स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ थीं। विद्युत मंत्रालय और नोडल एजेंसियाँ नियमित रूप से राज्यों और वितरण यूटिलिटि के साथ निविदा, पुरस्कार और स्वीकृत कार्यों की भौतिक प्रगति की देखरेख के लिए संपर्क बनाए हुए हैं और यदि कोई समस्या आती है, तो उसे हल करने में यूटिलिटि की सहायता कर रही हैं। परिणामस्वरूप, कार्यों में तेजी आने लगी है।

****

<u>रा.स.अतारां.प्र.स. 1750</u>
<u>अनुबंध</u>

एटीएंडसी के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का डिस्कॉम-वार विवरण

डिस्कॉम	पैरामीटर	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
एपीईपीडीसीएल (ईस्ट)	एटीएंडसी (%)	13.02	7.77	12	5.94	11	10.41
	आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे (ग्रामीण) (घंटे/दिन)*	23:40:15	23:40:28	23:40:30	23:40:40	23:40:45	23:49
	आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे (शहरी) (घंटे/दिन)*	23:53:15	23:54:15	23:53:30	23:53:43	23:53:45	23:58
एपीसीपीडीसीएल (सेंट्रल)	एटीएंडसी (%)	16.45	10.03	14.13	10.33	11.54	11.37
	आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे (ग्रामीण) (घंटे/दिन)*	23:40	23:44	23:42	23:48	23:44	23:48
	आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे (शहरी) (घंटे/दिन)*	23:53	23:56	23:54	23:54	23:55	24:00
एपीएसपीडीसीएल (साऊथ)	एटीएंडसी (%)	24.29	13.6	20.01	8.08	15	13.95
	आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे (ग्रामीण) (घंटे/दिन)*	22:35	22:21	22:40	22:43	22:50	23:39
	आपूर्ति के औसत दैनिक घंटे (शहरी) (घंटे/दिन)*	23:10	23:07	23:20	23:22	23:25	23:49

- आपूर्ति के घंटों के मानकों के निमित्त उपलब्धि राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1751

दिनांक 4 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को आरडीएसएस का ब्यौरा

1751. श्री अजीत कुमार भुयानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आरडीएसएस के अंतर्गत असम राज्य/एपीडीसीएल को स्वीकृत निधि और अब तक प्राप्त/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में एपीडीसीएल द्वारा स्मार्ट मीटरों की खरीद के लिए दिए गए आदेश और आपूर्तिकर्ता/विक्रेता, मात्रा, दर, आपूर्ति की शर्तें, कार्यनिष्पादन गारंटी, निर्माण के दौरान परीक्षण और निरीक्षण प्रक्रिया आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अप्रैल 2025 तक एपीडीसीएल द्वारा स्थापित स्मार्ट मीटरों की कुल संख्या क्या है, असम के संबंध में इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) जून 2025 तक एपीडीसीएल द्वारा विद्युत सर्किल-वार डीटीआर मीटरिंग और फीडर मीटरिंग का ब्यौरा क्या है और कुल वित्तीय भागीदारी सहित खरीद/संस्थापन आदेश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(**क**) **:** संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, असम पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 7,444 करोड़ रुपये (केंद्रीय अनुदान: 4,107 करोड़ रुपये) संस्वीकृत किए गए हैं। संस्वीकृत कार्यों के निमित्त अब तक 1,549 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान जारी/उपयोग किया जा चुका है।

(ख) : असम राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरों की खरीद के लिए एपीडीसीएल द्वारा अवार्ड किए गए कार्य आदेशों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य ने सूचित किया है कि सभी स्मार्ट मीटरों के लिए निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं:

i. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विनिर्माण संयंत्रों में सभी स्मार्ट मीटरों के लिए कारखाना संस्वीकृति परीक्षण (एफएटी)।
ii. स्मार्ट मीटर के नमूना बैचों का एपीडीसीएल परीक्षण एवं कमीशनिंग (टीएंडसी)

प्रयोगशालाओं में उनकी सटीकता के लिए आगे परीक्षण किया जाता है।

iii. स्मार्ट मीटरों के परीक्षण के लिए यादृच्छिक नमूने तृतीय पक्ष राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भी भेजे जाते हैं।

(ग) : दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक आरडीएसएस के तहत राज्य भर में एपीडीसीएल द्वारा संस्थापित स्मार्ट मीटरों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

उपभोक्ता	वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी)	फीडर	कुल
30,70,764	**55,048**	**2,658**	**31,28,470**

(घ) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, असम में जून, 2025 तक संस्थापित डीटी और फीडर मीटरों का विद्युत सर्किलवार ब्यौरा और वित्तीय भागीदारी (अवार्ड लागत) **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

****

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1751

अनुबंध-I

आरडीएसएस के अंतर्गत असम में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एपीडीसीएल द्वारा दिए गए कार्य आदेश का ब्यौरा:

पैकेज	ठेकेदार का नाम	अवार्ड किए गए स्मार्ट मीटरों की मात्रा (संख्या में)			पैकेज मूल्य (करोड़ रुपये में)	निष्पादन गारंटी (करोड़ रुपये में)
		उपभोक्ता	डीटी	फीडर		
डीबीएफ़ओओटी (पीकेजी-1)	इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	3,63,500	0	0	333.70	4.98
डीबीएफ़ओओटी (पीकेजी-2)	इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2,56,600	0	0	235.55	3.52
आरडीएसएस पैकेज-1	अपरावा स्मार्ट मीटर प्राइवेट लिमिटेड	6,81,490	11,353	234	658.53	19.76
आरडीएसएस पैकेज-2	जीनस असम पैकेज-2 एसपीवी लिमिटेड	6,92,343	11,872	323	683.59	20.51
आरडीएसएस पैकेज-3	हाई प्रिंट असम पैकेज-3 एसपीवी लिमिटेड	7,12,482	11,740	299	683.86	20.52
आरडीएसएस पैकेज-4	जीनस असम पैकेज-4 एसपीवी लिमिटेड	7,36,726	18,044	600	758.60	22.76
आरडीएसएस पैकेज-5	जीनस असम पैकेज-5 एसपीवी लिमिटेड	7,54,878	11,134	878	727.92	21.84
आरडीएसएस पैकेज-6	एनई स्मार्ट मीटरिंग लिमिटेड	7,59,220	13,404	448	844.76	25.34
आरडीएसएस पैकेज-7	असम स्मार्ट मीटरिंग प्राइवेट लिमिटेड	15,02,859	17,360	659	1,363.61	40.91
कुल		**64,60,098**	**94,907**	**3,441**	**6,290.13**	**180.14**

****

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1751

अनुबंध-II

दिनांक 30.06.2025 तक आरडीएसएस के तहत असम में संस्थापित डीटी और फीडर मीटरों का सर्किलवार ब्यौराः

सर्कल	डीटी	फीडर
बदरपुर	3,876	110
बारपेटा	3,719	157
बोंगईगांव	6,254	126
कछार	3,415	122
डिब्रूगढ़	2,451	177
जीईसी-I	0	207
जीईसी-II	51	157
गोलाघाट	2,437	123
जोरहाट	2,734	172
काँच	2,599	122
कोकराझार	4,496	106
मंगलदोई	3,403	139
मारीगांव	1,492	56
एन.लखीमपुर	4,078	130
नगांव	4,025	168
रंगिया	2,112	221
शिवसागर	3,999	165
तेजपुर	3,463	205
तिनसुकिया	2,537	184
कुल	**57,141**	**2,847**

आरडीएसएस के तहत डीटी और फीडर मीटरिंग के लिए वित्तीय भागीदारी (अवार्ड लागत)

घटक	**वित्तीय भागीदारी**
	करोड़ रुपये में
डीटी मीटर	451.72
फीडर मीटर	16.94

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1752
दिनांक 4 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ
देश में उत्पादित ऊर्जा की कुल मात्रा

1752. डा. मु. तंबी दुरैः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वर्ष सहित विगत पाँच वर्षों में देश में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस उत्पादन और देश में ऊर्जा की मांग में विषमता है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश भर में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा के कुल वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उत्पादित ऊर्जा का वितरण/बिक्री अन्य देशों को करती है; और

(च) यदि हाँ, तो नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा दोनों की दृष्टि से अन्य देशों को किए गए निर्यात के कुल मूल्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पिछले पाँच (5) वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान देश में उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा का स्रोत-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख) से (घ) : पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा की दृष्टि से देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के लिए ऊर्जा की दृष्टि से विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

ये ब्यौरे दर्शाते हैं कि ऊर्जा उत्पादन देश में ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप है। ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच केवल मामूली अंतर है, जो आमतौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

(ङ) से (च) : भारत के भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ सीमा पार अंतर्संबंध हैं। अन्य देशों के साथ विद्युत का आयात/निर्यात भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2018 में जारी "विद्युत के आयात/निर्यात (सीमा पार) संबंधी दिशानिर्देश 2018" द्वारा नियंत्रित होता है।

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 (मई 2025 तक) तक पड़ोसी देशों को निर्यात की गई कुल ऊर्जा का ब्यौरा **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

विद्युत का आयात/निर्यात पूरी तरह से व्यावसायिक शर्तों पर क्रय-विक्रय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए अन्य देशों को कुल निर्यात के मूल्य और आय के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

****

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक देश में उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा का स्रोत-वार विवरण:

ईंधन		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23	
		उत्पादन	कुल उत्पादन का %	उत्पादन	कुल उत्पादन का %	उत्पादन	कुल उत्पादन का %
जीवाश्म ईंधन	कोयला	9,50,937.55	68.82	10,41,487.43	69.81	11,45,907.58	70.54
	डीजल	126.31	0.01	117.24	0.01	229.71	0.01
	लिग्नाइट	30,505.68	2.21	37,094.04	2.49	36,188.34	2.23
	नाफ्था	101.41	0.01	0.00	0.00	0.83	0.00
	प्राकृतिक गैस	50,842.59	3.68	36,015.77	2.41	23,884.21	1.47
कुल जीवाश्म ईंधन		**10,32,513.54**	**74.72**	**11,14,714.48**	**74.72**	**12,06,210.67**	**74.25**
गैर-जीवाश्म ईंधन	न्यूक्लियर	43,029.08	3.11	47,112.06	3.16	45,861.09	2.82
	जलविद्युत	1,50,299.52	10.88	1,51,627.33	10.16	1,62,098.77	9.98
	भूटान आयात	8,765.50	0.63	7,493.20	0.50	6,742.40	0.42
	नवीकरणीय (बड़ी जलविद्युत को छोड़कर)	1,47,247.51	10.66	1,70,912.30	11.46	2,03,552.68	12.53
कुल गैर-जीवाश्म ईंधन		**3,49,341.61**	**25.28**	**3,77,144.89**	**25.28**	**4,18,254.94**	**25.75**
कुल योग		**13,81,855.15**	**100.00**	**14,91,859.37**	**100.00**	**16,24,465.61**	**100.00**

वर्ष 2023-24, 2024-25 और वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान देश में उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा का स्रोत-वार विवरण:

ईंधन		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक)	
		उत्पादन	कुल उत्पादन का %	उत्पादन	कुल उत्पादन का %	उत्पादन	कुल उत्पादन का %
जीवाश्म ईंधन	कोयला	12,60,902.62	72.5	12,98,872.2	70.99	3,25,685.99	68.11
	डीजल	400.58	0.02	442.65	0.02	114.63	0.02
	लिग्नाइट	33,949.79	1.95	32,994.77	1.8	7,390.49	1.55
	नाफ्था	0.03	0	0	0	0	0
	प्राकृतिक गैस	31,295.91	1.8	31,580.05	1.73	8,786.98	1.84
कुल जीवाश्म ईंधन		**13,26,548.93**	**76.27**	**13,63,889.67**	**74.54**	**3,41,978.09**	**71.52**
गैर-जीवाश्म ईंधन	न्यूक्लियर	47,937.41	2.76	56,680.83	3.1	14,586.54	3.05
	जलविद्युत	1,34,053.92	7.71	1,48,633.98	8.12	39,658.25	8.29
	भूटान आयात	4,716.1	0.27	5,484.18	0.3	1,860.72	0.39
	नवीकरणीय (बड़ी जलविद्युत को छोड़कर)	2,25,834.83	12.99	2,55,009.19	13.94	80,111.71	16.75
कुल गैर-जीवाश्म ईंधन		**4,12,542.26**	**23.73**	**4,65,808.18**	**25.46**	**13,6217.22**	**28.48**
कुल योग		**17,39,091.19**	**100.00**	**18,29,697.85**	**100.00**	**4,78,195.31**	**100.00**

****

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1752
अनुबंध-II

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति

वित्तीय वर्ष (एफवाई)	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू)]			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2020-21	12,75,534	12,70,663	4,871	0.4
2021-22	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1
2025-26 (जून, 2025 तक)	4,45,197	4,45,040	157	0.0

****

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऊर्जा के संदर्भ में देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्यवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021				अप्रैल, 2021 - मार्च, 2022			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,523	1,523	0	0	1,606	1,606	0	0
दिल्ली	29,560	29,555	4	0	31,128	31,122	6	0
हरियाणा	53,161	53,108	53	0.1	55,499	55,209	290	0.5
हिमाचल प्रदेश	10,186	10,130	56	0.5	12,115	12,088	27	0.2
जम्मू एवं कश्मीर	19,773	17,222	2,551	12.9	19,957	18,434	1,524	7.6
पंजाब	58,445	58,377	67	0.1	62,846	62,411	436	0.7
राजस्थान	85,311	85,205	106	0.1	89,814	89,310	504	0.6
उत्तर प्रदेश	1,24,367	1,23,383	984	0.8	1,29,448	1,28,310	1,138	0.9
उत्तराखंड	13,827	13,818	8	0.1	15,521	15,426	94	0.6
उत्तरी क्षेत्र	**3,96,151**	**3,92,323**	**3,829**	**1**	**4,17,934**	**4,13,915**	**4,019**	**1**
छत्तीसगढ़	30,472	30,449	22	0.1	31,908	31,872	35	0.1
गुजरात	1,11,622	1,11,622	0	0	1,23,953	1,23,666	287	0.2
मध्य प्रदेश	83,437	83,437	0	0	86,501	86,455	46	0.1
महाराष्ट्र	1,50,679	1,50,663	16	0	1,72,823	1,72,809	14	0
दमन एवं दीव	2,223	2,223	0	0	2,594	2,594	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	5,497	5,497	0	0	6,839	6,839	0	0
गोवा	4,083	4,083	0	0	4,448	4,448	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	**3,88,013**	**3,87,975**	**38**	**0**	**4,29,065**	**4,28,683**	**383**	**0.1**
आंध्र प्रदेश	62,080	62,076	4	0	68,413	68,219	194	0.3
तेलंगाना	66,998	66,994	4	0	70,539	70,523	16	0
कर्नाटक	68,851	68,831	19	0	72,437	72,417	20	0
केरल	25,118	25,102	16	0.1	26,579	26,570	9	0
तमिलनाडु	1,01,194	1,01,189	5	0	1,09,816	1,09,798	18	0
पुद्दुचेरी	2,644	2,644	0	0	2,894	2,893	1	0
लक्षद्वीप	56	56	0	0	56	56	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**3,26,885**	**3,26,836**	**48**	**0**	**3,50,678**	**3,50,421**	**258**	**0.1**
बिहार	34,171	34,018	153	0.4	36,216	35,761	455	1.3
डीवीसी	21,368	21,368	0	0	23,741	23,736	4	0
झारखंड	9,953	9,675	278	2.8	11,148	10,590	558	5
ओडिशा	29,848	29,848	0	0	38,339	38,332	7	0
पश्चिम बंगाल	51,644	51,543	100	0.2	54,001	53,945	57	0.1
सिक्किम	546	546	0	0	610	609	0	0
अंडमान-निकोबार	346	323	23	6.7	335	327	8	2.3
पूर्वी क्षेत्र	**1,47,530**	**1,46,999**	**531**	**0.4**	**1,64,054**	**1,62,973**	**1,081**	**0.7**
अरुणाचल प्रदेश	719	714	5	0.7	875	874	1	0.1
असम	10,192	9,815	377	3.7	10,844	10,825	19	0.2
मणिपुर	974	969	5	0.5	1,019	1,018	1	0.1
मेघालय	2,031	2,005	26	1.3	2,256	2,243	13	0.6
मिजोरम	728	723	4	0.6	656	644	12	1.8
नागालैंड	826	822	4	0.5	852	851	1	0.1
त्रिपुरा	1,484	1,481	3	0.2	1,578	1,578	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**16,955**	**16,531**	**424**	**2.5**	**18,079**	**18,033**	**47**	**0.3**
अखिल भारत	**12,75,534**	**12,70,663**	**4,871**	**0.4**	**13,79,812**	**13,74,024**	**5,787**	**0.4**

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ऊर्जा के संदर्भ में देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्यवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0	1,789	1,789	0	0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0	35,501	35,496	5	0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0
राजस्थान	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.7
उत्तरी क्षेत्र	**4,63,088**	**4,58,640**	**4,449**	**1**	**4,76,852**	**4,74,946**	**1,906**	**0.4**
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,39,043	1,38,999	44	0	1,45,768	1,45,740	28	0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	1,87,309	1,87,197	111	0.1	2,07,108	2,06,931	176	0.1
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,018	10,018	0	0	10,164	10,164	0	0
गोवा	4,669	4,669	0	0	5,111	5,111	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	**4,77,393**	**4,76,808**	**586**	**0.1**	**5,17,714**	**5,17,301**	**413**	**0.1**
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0	84,623	84,613	9	0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0	94,088	93,934	154	0.2
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0
तमिलनाडु	1,14,798	1,14,722	77	0.1	1,26,163	1,26,151	12	0
Puducherry	3,051	3,050	1	0	3,456	3,455	1	0
लक्षद्वीप	64	64	0	0	64	64	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**3,71,467**	**3,70,900**	**567**	**0.2**	**4,19,531**	**4,19,293**	**238**	**0.1**
बिहार	39,545	38,762	783	2	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,339	26,330	9	0	26,560	26,552	8	0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	587	587	0	0	544	543	0	0
अंडमान-निकोबार	348	348	0	0.12914	386	374	12	3.18562
पूर्वी क्षेत्र	**1,82,791**	**1,80,888**	**1,903**	**1**	**1,92,013**	**1,90,747**	**1,266**	**0.7**
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0
असम	11,465	11,465	0	0	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,014	1,014	0	0	1,023	1,008	15	1.5
मेघालय	2,237	2,237	0	0	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	645	645	0	0	684	684	0	0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0
त्रिपुरा	1,547	1,547	0	0	1,691	1,691	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**18,758**	**18,680**	**78**	**0.4**	**20,022**	**19,733**	**289**	**1.4**
अखिल भारत	**15,13,497**	**15,05,914**	**7,583**	**0.5**	**16,26,132**	**16,22,020**	**4,112**	**0.3**

वर्ष 2024-25 और 2025-26 और वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के लिए ऊर्जा के संदर्भ में देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्यवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - जून, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,952	1,952	0	0	555	555	0	0
दिल्ली	38,255	38,243	12	0	11,303	11,299	4	0
हरियाणा	70,149	70,120	30	0	18,816	18,757	59	0.3
हिमाचल प्रदेश	13,566	13,526	40	0.3	3,387	3,375	11	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,374	20,283	90	0.4	4,853	4,847	6	0.1
पंजाब	77,423	77,423	0	0	20,885	20,860	25	0.1
राजस्थान	1,13,833	1,13,529	304	0.3	28,036	28,036	0	0
उत्तर प्रदेश	1,65,090	1,64,786	304	0.2	46,028	46,022	6	0
उत्तराखंड	16,770	16,727	43	0.3	4,426	4,417	10	0.2
उत्तरी क्षेत्र	**5,18,869**	**5,17,917**	**952**	**0.2**	**1,38,697**	**1,38,576**	**121**	**0.1**
छत्तीसगढ	43,208	43,180	28	0.1	11,474	11,472	2	0
गुजरात	1,51,878	1,51,875	3	0	41,752	41,752	0	0
मध्य प्रदेश	1,04,445	1,04,312	133	0.1	25,168	25,166	2	0
महाराष्ट्र	2,01,816	2,01,757	59	0	52,395	52,393	1	0
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,852	10,852	0	0	2,845	2,845	0	0
गोवा	5,411	5,411	0	0	1,486	1,486	0	0
पश्चिमी क्षेत्र	**5,28,924**	**5,28,701**	**223**	**0**	**1,38,472**	**1,38,466**	**6**	**0**
आंध्र प्रदेश	79,028	79,025	3	0	20,471	20,471	0	0
तेलंगाना	88,262	88,258	4	0	19,690	19,690	0	0
कर्नाटक	92,450	92,446	4	0	22,945	22,945	0	0
केरल	31,624	31,616	8	0	8,015	8,015	0	0
तमिलनाडु	1,30,413	1,30,408	5	0	34,817	34,817	0	0
पुद्दुचेरी	3,549	3,549	0	0	948	946	2	0.2
लक्षद्वीप	68	68	0	0	20	20	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**4,25,373**	**4,25,349**	**24**	**0**	**1,06,899**	**1,06,897**	**2**	**0**
बिहार	44,393	44,217	176	0.4	12,716	12,713	4	0
डीवीसी	25,891	25,888	3	0	6,368	6,367	1	0
झारखंड	15,203	15,126	77	0.5	3,931	3,930	1	0
ओडिशा	42,882	42,858	24	0.1	11,830	11,828	2	0
पश्चिम बंगाल	71,180	71,085	95	0.1	20,645	20,626	18	0.1
सिक्किम	574	574	0	0	128	128	0	0
अंडमान-निकोबार	425	413	12	2.9	107	104	3	2.8
पूर्वी क्षेत्र	**2,00,180**	**1,99,806**	**374**	**0.2**	**55,637**	**55,611**	**26**	**0**
अरुणाचल प्रदेश	1,050	1,050	0	0	283	283	0	0
असम	12,843	12,837	6	0	3,506	3,506	0	0
मणिपुर	1,079	1,068	10	0.9	274	272	2	0.9
मेघालय	2,046	2,046	0	0	494	494	0	0
मिजोरम	709	709	0	0	177	177	0	0
नागालैंड	938	938	0	0	243	243	0	0
त्रिपुरा	1,939	1,939	0	0	512	512	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**20,613**	**20,596**	**16**	**0.1**	**5,492**	**5,490**	**2**	**0**
अखिल भारत	**16,93,959**	**16,92,369**	**1,590**	**0.1**	**4,45,197**	**4,45,040**	**157**	**0**

****

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1752

अनुबंध-IV

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (मई, 2025 तक) तक पड़ोसी देशों को निर्यात की गई कुल ऊर्जा का विवरण

(सभी आंकड़े मिलियन यूनिट में हैं)

वर्ष	नेपाल	बांग्लादेश	म्यांमार	भूटान
2020-21	1,870	7,555	9.24	219
2021-22	2,127	7,327	8.81	322
2022-23	1,552	8,581	9.8	522
2023-24	1,850	8,394	8.78	1,868
2024-25	1,686	8,084	9.08	1,764
2025-26 (अप्रैल और मई, 2025)	581	1,386	1.44	295

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1753
दिनांक 4 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ
तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम

1753. श्री सी. वी. षनमुगमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किये गए तमिलनाडु के जिलों के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु सहित देश में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई समस्याएँ पेश आई हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्ष 2015 में शुरू किए गए स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) का उद्देश्य पूरे भारत में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एलईडी लैंप को व्यापक रूप से अपनाकर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा की खपत और लागत को कम करना है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का एक संयुक्त उद्यम, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), एसएलएनपी की कार्यान्वयन एजेंसी है।

(ख) : एसएलएनपी एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसके लिए स्थानीय निकायों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने के लिए अपनी सहमति और इच्छा व्यक्त करनी होती है। अब तक ईईएसएल को तमिलनाडु से ऐसा कोई अनुरोध/सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) : भारत सरकार ने एसएलएनपी के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की है, क्योंकि यह कार्यक्रम ईईएसएल द्वारा स्व-वित्तपोषण रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

(घ) और (ङ) : संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समझौते और सहमति को अंतिम रूप दे दिए जाने के पश्चात एसएलएनपी को लागू करने में आमतौर पर कोई विशेष समस्या नहीं आती है।

तथापि, दिनांक 30.06.2025 तक विभिन्न राज्यों और यूएलबी से एसएलएनपी के निमित्त लगभग 2702 करोड़ रुपये [विलंबित भुगतान अधिभार को छोड़कर] की बकाया राशि ईईएसएल के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

एसएलएनपी ने देश में ऊर्जा बचत स्ट्रीट लाइटों को अपनाने में तेजी लाने के अपने उद्देश्य को काफी हद तक हासिल कर लिया है और अब शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय कैपेक्स मॉडल सहित वैकल्पिक विकल्पों के माध्यम से इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

****

भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1754

दिनांक 4 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विद्‌युत की मांग और ग्रिड अवसंरचना

1754. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकः

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में देश में विद्‌युत की अधिकतम और औसत मांग, माहवार, राज्यवार और राष्ट्रीय (औसत) स्तर पर कितनी रही है;

(ख) अधिकतम विद्‌युत माँग और औसत माँग में प्रतिदिन होने वाले अंतर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिकतम भार की स्थिति के दौरान विद्‌युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्‌वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या राज्य और केंद्र सरकार अपने-अपने पृथक ग्रिड नेटवर्क बनाए रखते हैं, देश में विद्‌युत ग्रिड साझाकरण का ब्यौरा क्या है और इसमें आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं तथा उनके समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्‌युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारतीय विद्‌युत प्रणाली में सभी प्रकार की विविधताएं हैं जैसे दैनिक, मौसमी, सांस्कृतिक, कृषि, औद्‌योगिक आदि, जिनका विद्‌युत मांग पैटर्न पर प्रभाव पड़ता है। भारत के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को विद्‌युत प्रणाली प्रचालन की सुविधा के दृष्टिकोण से पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट मांग विशेषता है। भार के प्रकार और प्रकृति, जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक प्रथाओं में अंतर प्रत्येक क्षेत्र के मांग चक्र को प्रभावित करता है, जो प्रत्येक क्षेत्र में एक-दूसरे से भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त, अधिकतम और न्यूनतम मांग में दैनिक बदलाव, भार वृद्‌धि और मौसमी बदलाव जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। देश की मासिक-वार अधिकतम मांग और औसत मांग **अनुबंध-I** पर दी गई है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ऐसा विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ग) : उच्चतम लोड घटनाओं के दौरान विद्‌युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) जल विद्‌युत आधारित उत्पादन को इस प्रकार निर्धारित किया जा रहा है कि उच्चतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जल संरक्षण किया जा सके।

(ii) उच्च मांग की अवधि के दौरान उत्पादन यूनिट के नियोजित अनुरक्षण को न्यूनतम किया जाता है।

(iii) ईंधन की कमी को रोकने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

(iv) एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ अन्य विद्युत उत्पादकों को उच्च विद्युत मांग अवधि के दौरान शेड्यूल किया जाता है।

(v) आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित सभी विद्युत उत्पादन कंपनियों को नियोजित अनुरक्षण या जबरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर उत्पादन करने और पूर्ण उपलब्धता बनाए रखने की सलाह दी गई है।

(vi) निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सक्रिय निगरानी की जाती है ताकि आनुपातिक क्षमता वृद्धि को सुगम बनाया जा सके।

(vii) पावर एक्सचेंजों में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम), और हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएएम) को जोड़कर विद्युत बाजार में सुधार किया गया है। इसके अलावा, डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत खरीद के लिए ई-बिडिंग और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) की शुरुआत की गई है।

(घ) : विद्युत समवर्ती सूची में है और ग्रिड नेटवर्क का विकास और प्रबंधन राज्य और केंद्र दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। प्रत्येक राज्य अपनी पारेषण अवसंरचना - अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएनएसटीएस) के विकास, प्रचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। देश की पारेषण प्रणाली के कुशल और समन्वित विकास के लिए, केंद्र सरकार, केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के माध्यम से, अलग-अलग राज्य पारेषण प्रणालियों को जोड़ने वाले अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) - के विकास और नियोजन के लिए उत्तरदायी है।

अंतर-राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली के अंतर्गत दिनांक 30.06.2025 तक पारेषण प्रणाली (220 केवी और उससे अधिक) का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

भारत की राष्ट्रीय पारेषण अवसंरचना, उच्चतम अवधि सहित, सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय विद्युत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित है। राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का विस्तार विद्युत उत्पादन और विद्युत मांग में वृद्धि के अनुरूप निरंतर आधार पर किया जा रहा है। अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता वर्ष 2016-17 के 75,050 मेगावाट से बढ़कर जून, 2025 तक 1,20,340 मेगावाट हो गई है, जिसे वर्ष 2027 तक 1,43,000 मेगावाट और वर्ष 2032 तक 1,68,000 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (वॉल्युम-II पारेषण) के अंतर्गत, देश में 220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर के लिए पारेषण नेटवर्क का विस्तार 4.95 लाख सीकेएम (जून 2025 में) से वर्ष 2032 तक 6.48 लाख सीकेएम तक होने की संभावना है। इसी अवधि के दौरान, 220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर के लिए रूपांतरण क्षमता 1,360 गीगा वोल्ट एम्पीयर (जीवीए) से बढ़कर 2,345 जीवीए होने की संभावना है।

****

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उच्चतम मांग और औसत मांग का विवरण

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

	2022-23	
महीना	**उच्चतम मांग**	**औसत मांग**
अप्रैल	2,15,888	1,87,195
मई	2,05,996	1,82,480
जून	2,12,341	1,86,194
जुलाई	1,92,363	1,72,969
अगस्त	1,96,611	1,75,880
सितंबर	2,00,351	1,76,702
अक्टूबर	1,87,041	1,53,317
नवंबर	1,88,481	1,56,042
दिसंबर	2,06,489	1,63,290
जनवरी	2,12,559	1,70,772
फरवरी	2,11,215	1,76,822
मार्च	2,09,361	1,72,497

	2023-24	
महीना	**उच्चतम मांग**	**औसत मांग**
अप्रैल	2,16,142	1,81,130
मई	2,21,718	1,83,933
जून	2,24,106	1,95,167
जुलाई	2,09,039	1,89,003
अगस्त	2,38,824	2,04,537
सितंबर	2,43,271	1,96,982
अक्टूबर	2,22,160	1,87,946
नवंबर	2,04,777	1,65,862
दिसंबर	2,13,793	1,65,677
जनवरी	2,23,516	1,80,887
फरवरी	2,22,166	1,83,325
मार्च	2,21,823	1,86,881

	2024-25	
महीना	**उच्चतम मांग**	**औसत मांग**
अप्रैल	2,24,181	2,00,559
मई	2,49,856	2,08,799
जून	2,44,529	2,12,014
जुलाई	2,26,786	2,01,654
अगस्त	2,16,486	1,93,912
सितंबर	2,30,613	1,95,451
अक्टूबर	2,19,179	1,87,120
नवंबर	2,07,513	1,71,963
दिसंबर	2,24,246	1,74,170
जनवरी	2,37,298	1,83,284
फरवरी	2,38,127	1,94,351
मार्च	2,35,254	1,97,520

****

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उच्चतम मांग और औसत मांग का माहवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022		मई, 2022		जून, 2022		जुलाई, 2022	
	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)
चंडीगढ़	308	204	367	246	407	275	401	273
दिल्ली	6,197	4,447	7,070	5,075	7,695	5,447	7,517	5,251
हरियाणा	9,320	6,833	10,052	7,660	12,768	8,957	12,327	8,831
हिमाचल प्रदेश	1,717	1,396	1,644	1,424	1,739	1,519	1,732	1,442
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2,603	2,109	2,678	2,121	2,723	2,178	2,718	2,063
पंजाब	9,889	6,918	10,887	8,484	14,311	10,391	14,069	10,928
राजस्थान	14,291	11,419	15,949	12,161	16,012	12,692	12,332	9,763
उत्तर प्रदेश	21,146	18,168	25,046	19,157	25,456	21,160	25,951	20,208
उत्तराखंड	2,329	1,945	2,354	1,963	2,594	2,181	2,342	1,982
उत्तरी क्षेत्र	**63,270**	**53,563**	**68,399**	**58,418**	**77,337**	**64,938**	**74,748**	**60,880**
छत्तीसगढ़	5,339	4,888	4,975	4,202	4,685	4,064	4,831	4,007
गुजरात	21,464	17,436	20,769	18,180	21,236	16,697	17,428	13,776
मध्य प्रदेश	12,751	11,437	12,541	11,038	11,520	9,871	10,244	8,781
महाराष्ट्र	30,935	24,760	27,969	23,715	26,972	21,550	22,540	18,401
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,252	1,156	1,252	1,137	1,243	1,167	1,198	1,129
गोवा	718	601	711	618	663	538	624	494
पश्चिमी क्षेत्र	**70,581**	**61,015**	**68,091**	**59,307**	**65,826**	**54,325**	**53,550**	**47,011**
आंध्र प्रदेश	13,167	9,329	11,218	8,137	11,309	8,524	9,790	7,676
तेलंगाना	13,636	10,000	10,519	7,786	9,898	7,392	12,468	7,234
कर्नाटक	14,725	10,073	12,260	7,670	11,805	8,228	10,885	7,162
केरल	4,699	3,445	4,184	3,174	3,975	3,141	3,648	2,848
तमिलनाडु	17,306	14,574	16,636	13,827	16,929	14,200	15,989	13,421
पुदुचेरी	481	383	493	376	501	384	479	370
लक्षद्वीप	12	8	12	8	11	7	11	7
दक्षिणी क्षेत्र	**61,061**	**47,810**	**53,669**	**40,975**	**50,879**	**41,875**	**48,810**	**38,717**
बिहार	6,802	5,028	6,740	4,761	6,831	5,151	7,852	5,612
डीवीसी	3,402	3,174	3,330	3,080	3,355	3,075	3,309	3,094
झारखंड	2,118	1,627	1,837	1,385	1,895	1,444	2,253	1,640
ओडिशा	5,714	4,907	6,313	5,197	6,427	5,400	6,259	5,393
पश्चिम बंगाल	10,125	8,113	8,837	7,216	9,592	7,746	9,559	8,041
सिक्किम	116	67	106	64	98	64	91	61
अंडमान-निकोबार	62	43	60	39	59	39	58	37
पूर्वी क्षेत्र	**27,522**	**22,924**	**26,167**	**21,709**	**27,206**	**22,886**	**27,739**	**23,853**
अरुणाचल प्रदेश	133	98	142	102	158	111	143	110
असम	1,797	1,077	2,144	1,282	2,141	1,377	2,231	1,671
मणिपुर	202	103	197	101	201	106	201	112
मेघालय	359	229	343	224	342	216	332	236
मिज़ोरम	118	79	117	71	118	70	119	75
नागालैंड	138	96	145	101	150	120	159	124
त्रिपुरा	316	200	303	188	306	169	319	179
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**2,924**	**1,883**	**3,242**	**2,071**	**3,228**	**2,170**	**3,386**	**2,508**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उच्चतम मांग और औसत मांग का माहवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अगस्त,2022		सितंबर,2022		अक्तूबर,2022		नवंबर,2022	
	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)
चंडीगढ़	381	275	374	244	260	162	254	138
दिल्ली	6,446	4,973	6,687	4,787	4,990	3,290	3,941	2,838
हरियाणा	12,015	9,166	12,015	8,642	8,663	5,931	7,578	5,407
हिमाचल प्रदेश	1,711	1,475	1,748	1,493	1,771	1,391	1,965	1,429
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2,782	2,147	3,137	2,086	2,823	2,114	3,074	2,290
पंजाब	14,298	11,971	14,187	10,580	11,479	6,665	7,267	5,192
राजस्थान	13,808	9,900	15,843	12,132	14,072	10,607	16,023	12,189
उत्तर प्रदेश	25,437	19,950	27,369	18,428	22,631	13,535	17,387	12,788
उत्तराखंड	2,339	1,916	2,313	1,797	2,092	1,478	2,141	1,498
उत्तरी क्षेत्र	**74,748**	**61,908**	**76,474**	**60,312**	**60,710**	**45,304**	**54,006**	**43,905**
छत्तीसगढ़	5,073	4,071	4,917	4,506	4,648	4,604	4,098	3,443
गुजरात	17,632	14,285	20,341	15,107	20,275	14,387	19,704	16,259
मध्य प्रदेश	10,957	8,749	10,973	9,425	11,752	9,052	16,085	11,568
महाराष्ट्र	24,186	18,822	22,574	18,650	22,513	17,965	25,936	20,989
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,216	1,124	1,233	1,161	1,243	1,124	1,205	1,113
गोवा	622	503	647	493	655	487	679	457
पश्चिमी क्षेत्र	**56,976**	**48,046**	**57,709**	**49,691**	**58,367**	**47,969**	**66,879**	**54,520**
आंध्र प्रदेश	11,372	8,178	10,920	8,311	9,878	7,429	9,588	7,627
तेलंगाना	13,695	8,600	13,191	8,744	11,847	7,548	9,953	7,268
कर्नाटक	11,275	7,152	11,834	7,457	10,306	6,843	12,463	8,332
केरल	3,815	2,956	3,864	3,064	4,338	3,121	3,919	3,102
तमिलनाडु	16,411	12,848	16,110	13,113	15,217	11,854	14,856	11,548
पुदुचेरी	457	353	460	352	428	327	418	321
लक्षद्वीप	11	7	11	7	11	7	10	7
दक्षिणी क्षेत्र	**52,450**	**40,093**	**52,335**	**41,046**	**45,413**	**37,128**	**48,048**	**38,204**
बिहार	7,608	5,511	6,821	5,148	6,491	4,455	5,002	3,408
डीवीसी	3,261	2,965	3,298	2,999	3,157	2,877	3,093	2,846
झारखंड	2,138	1,549	2,081	1,568	2,068	1,503	2,128	1,470
ओडिशा	6,566	5,451	6,438	5,597	6,063	5,069	5,527	4,273
पश्चिम बंगाल	9,694	7,744	9,619	7,709	9,106	6,779	7,595	5,451
सिक्किम	98	61	103	65	102	56	116	68
अंडमान-निकोबार	58	37	58	40	59	40	58	39
पूर्वी क्षेत्र	**28,275**	**23,292**	**27,754**	**23,096**	**26,225**	**20,746**	**22,225**	**17,521**
अरुणाचल प्रदेश	155	100	144	97	121	100	125	89
असम	2,379	1,724	2,338	1,696	2,310	1,352	1,714	1,073
मणिपुर	207	112	203	112	202	107	219	117
मेघालय	349	249	354	250	356	252	381	277
मिजोरम	119	56	127	67	127	60	135	78
नागालैंड	162	128	162	116	168	100	165	91
त्रिपुरा	324	172	333	218	321	199	282	165
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**3,603**	**2,542**	**3,512**	**2,557**	**3,422**	**2,171**	**2,920**	**1,891**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उच्चतम मांग और औसत मांग का माहवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	दिसंबर, 2022		जनवरी, 2023		फरवरी, 2023		मार्च, 2023	
	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)
चंडीगढ़	282	156	323	192	295	145	204	137
दिल्ली	4,964	2,926	5,623	3,322	4,667	2,860	3,979	2,864
हरियाणा	8,137	5,780	8,259	5,870	8,570	5,782	7,732	5,258
हिमाचल प्रदेश	2,004	1,491	2,071	1,490	1,977	1,396	1,922	1,379
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2,831	2,417	3,019	2,589	3,044	2,483	2,859	2,319
पंजाब	7,989	5,781	9,063	6,225	8,864	6,234	8,840	5,746
राजस्थान	16,777	12,949	17,399	12,915	16,754	12,764	15,833	10,137
उत्तर प्रदेश	19,970	13,304	21,342	14,398	18,602	13,438	19,572	12,929
उत्तराखंड	2,374	1,651	2,492	1,801	2,368	1,657	2,185	1,562
उत्तरी क्षेत्र	**59,995**	**46,611**	**63,621**	**48,928**	**59,194**	**46,892**	**56,200**	**42,495**
छत्तीसगढ़	4,814	3,851	5,142	4,235	5,326	4,812	5,399	4,658
गुजरात	20,146	16,257	19,699	15,597	19,185	16,306	19,464	16,291
मध्य प्रदेश	17,141	12,692	17,347	12,463	15,875	12,474	14,298	9,595
महाराष्ट्र	27,234	22,368	27,860	22,392	28,519	23,560	28,576	23,638
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,228	1,133	1,240	1,136	1,278	1,178	1,272	1,169
गोवा	689	540	677	524	689	562	718	580
पश्चिमी क्षेत्र	**71,677**	**57,791**	**71,227**	**57,540**	**69,777**	**60,150**	**70,223**	**57,196**
आंध्र प्रदेश	10,268	7,509	11,472	8,235	11,981	9,185	12,227	9,021
तेलंगाना	14,017	8,644	13,906	10,006	14,794	11,618	15,497	11,975
कर्नाटक	13,149	8,500	14,972	9,846	15,543	11,077	15,828	11,563
केरल	3,945	3,098	3,980	3,102	4,198	3,331	4,504	3,647
तमिलनाडु	15,305	11,695	15,720	12,403	16,459	13,312	17,729	14,516
पुदुचेरी	400	312	496	316	421	331	453	355
लक्षद्वीप	10	7	11	7	11	8	12	8
दक्षिणी क्षेत्र	**54,600**	**39,762**	**57,741**	**43,912**	**61,114**	**48,859**	**64,337**	**51,082**
बिहार	5,118	3,454	5,794	3,988	5,027	3,727	5,289	3,874
डीवीसी	3,228	2,869	3,339	3,033	3,338	3,066	3,268	3,010
झारखंड	2,138	1,486	2,061	1,543	2,019	1,484	1,970	1,487
ओडिशा	4,788	3,994	5,221	4,031	5,567	4,444	5,542	4,625
पश्चिम बंगाल	6,616	5,269	7,112	5,723	7,789	6,159	8,803	6,697
सिक्किम	124	76	123	80	121	75	113	68
अंडमान-निकोबार	60	40	60	39	59	41	60	43
पूर्वी क्षेत्र	**21,153**	**17,149**	**22,461**	**18,401**	**22,940**	**18,961**	**23,779**	**19,771**
अरुणाचल प्रदेश	145	105	166	115	159	111	167	117
असम	1,590	1,094	1,651	1,098	1,572	1,108	1,670	1,134
मणिपुर	247	140	248	143	225	124	212	112
मेघालय	395	299	404	297	394	279	374	256
मिजोरम	143	88	159	90	139	80	129	70
नागालैंड	152	98	139	94	148	99	156	101
त्रिपुरा	241	154	249	153	252	160	264	163
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**2,911**	**1,978**	**2,866**	**1,990**	**2,801**	**1,961**	**2,915**	**1,954**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उच्चतम मांग और औसत मांग का माहवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल,2023		मई,2023		जून,2023		जुलाई,2023	
	उच्चतम मांग	औसत मांग	उच्चतम मांग	औसत मांग	उच्चतम मांग	औसत मांग	उच्चतम मांग	औसत मांग
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
चंडीगढ़	252	168	321	211	377	258	371	255
दिल्ली	5,422	3,568	6,916	4,193	7,226	5,100	7,398	5,299
हरियाणा	9,054	5,830	10,654	6,827	11,634	8,509	12,260	9,023
हिमाचल प्रदेश	1,809	1,343	1,702	1,238	1,753	1,427	1,775	1,449
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2,890	2,354	2,823	2,320	2,542	2,162	2,628	2,069
पंजाब	8,187	5,829	11,725	7,017	15,293	9,748	14,665	11,078
राजस्थान	13,776	10,273	16,470	11,116	15,840	11,308	14,204	11,246
उत्तर प्रदेश	23,473	15,458	26,386	17,855	27,611	21,037	28,704	20,605
उत्तराखंड	2,228	1,678	2,415	1,795	2,536	2,060	2,298	1,824
उत्तरी क्षेत्र	**61,740**	**46,643**	**72,625**	**52,716**	**77,341**	**61,762**	**77,145**	**62,996**
छत्तीसगढ़	5,399	4,742	4,905	4,256	5,289	4,461	5,314	4,516
गुजरात	19,464	15,874	21,340	17,795	22,225	16,404	17,715	15,980
मध्य प्रदेश	14,298	10,089	12,286	10,258	11,837	10,323	12,006	9,824
महाराष्ट्र	28,576	24,338	28,160	24,752	28,546	24,371	24,544	22,041
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,272	1,194	1,265	1,181	1,311	1,221	1,307	1,064
गोवा	718	627	755	651	776	618	647	527
पश्चिमी क्षेत्र	**70,223**	**58,134**	**68,767**	**60,147**	**69,366**	**58,662**	**58,165**	**54,845**
आंध्र प्रदेश	12,566	9,639	12,653	9,237	12,909	9,887	11,584	8,529
तेलंगाना	14,591	10,182	9,879	7,489	11,417	8,335	12,610	8,588
कर्नाटक	16,110	11,950	15,111	10,106	14,198	10,211	12,359	8,294
केरल	5,010	3,841	4,848	3,832	4,610	3,394	3,983	3,100
तमिलनाडु	19,045	15,595	18,361	14,533	18,220	15,095	17,458	14,381
पुदुचेरी	485	388	524	424	520	432	508	408
लक्षद्वीप	12	8	12	8	11	7	11	7
दक्षिणी क्षेत्र	**63,939**	**51,600**	**59,532**	**45,628**	**58,155**	**47,358**	**54,211**	**43,304**
बिहार	6,373	4,744	6,578	5,086	6,974	5,795	7,514	5,933
डीवीसी	3,420	3,133	3,387	3,087	3,395	3,139	3,238	3,156
झारखंड	2,026	1,678	2,001	1,753	2,077	1,790	2,036	1,723
ओडिशा	6,237	4,816	6,061	5,092	6,443	5,324	6,090	5,172
पश्चिम बंगाल	11,418	8,208	10,838	8,100	11,626	8,862	10,696	9,167
सिक्किम	106	61	106	60	98	57	89	52
अंडमान-निकोबार	60	46	61	45	61	43	58	41
पूर्वी क्षेत्र	**29,560**	**22,648**	**28,791**	**23,202**	**30,256**	**24,975**	**29,633**	**25,209**
अरुणाचल प्रदेश	155	101	165	102	155	105	151	111
असम	2,013	1,265	2,219	1,388	2,307	1,585	2,390	1,775
मणिपुर	213	109	193	98	185	98	202	110
मेघालय	336	260	352	262	333	250	330	253
मिजोरम	127	77	122	70	125	71	122	76
नागालैंड	150	94	152	100	167	112	167	119
त्रिपुरा	338	200	345	220	362	186	343	205
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**3,211**	**2,106**	**3,453**	**2,240**	**3,546**	**2,410**	**3,516**	**2,649**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उच्चतम मांग और औसत मांग का माहवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अगस्त, 2023		सितंबर, 2023		अक्तूबर, 2023		नवंबर, 2023	
	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)
चंडीगढ़	411	287	388	270	265	170	205	141
दिल्ली	7,437	5,516	6,993	5,199	5,583	3,844	4,320	2,940
हरियाणा	13,088	10,293	12,753	9,456	9,947	7,198	7,685	5,438
हिमाचल प्रदेश	1,724	1,545	1,758	1,609	1,871	1,553	1,977	1,373
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2,735	2,158	2,805	2,112	2,735	2,070	2,710	2,203
पंजाब	15,132	12,849	14,964	11,120	12,213	7,068	7,380	5,336
राजस्थान	17,420	13,910	17,956	13,053	15,641	12,320	16,409	12,166
उत्तर प्रदेश	27,689	21,211	27,389	20,373	24,096	16,452	19,033	13,356
उत्तराखंड	2,303	1,888	2,368	1,933	2,259	1,666	2,141	1,530
उत्तरी क्षेत्र	**80,980**	**69,810**	**80,680**	**65,281**	**67,382**	**52,494**	**56,366**	**44,646**
छत्तीसगढ़	5,827	4,751	5,836	4,733	5,325	4,522	4,648	3,762
गुजरात	23,012	16,877	24,829	17,960	21,689	17,599	21,702	15,080
मध्य प्रदेश	13,624	11,114	14,873	10,693	15,252	12,112	17,121	12,510
महाराष्ट्र	31,178	22,811	27,678	22,001	28,206	24,269	28,386	23,269
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,327	1,064	1,306	1,100	1,316	1,206	1,267	1,111
गोवा	667	561	704	572	734	503	733	585
पश्चिमी क्षेत्र	**76,050**	**58,012**	**75,027**	**57,921**	**71,411**	**61,478**	**73,288**	**57,609**
आंध्र प्रदेश	12,508	9,678	12,372	9,110	13,028	9,791	12,084	8,770
तेलंगाना	14,816	10,334	15,380	9,341	15,266	10,979	11,857	8,537
कर्नाटक	16,958	10,630	14,814	9,733	15,978	10,453	15,301	9,774
केरल	4,356	3,482	4,109	3,282	4,159	3,321	4,293	3,363
तमिलनाडु	17,890	14,925	16,860	14,230	17,079	14,398	15,732	12,263
पुदुचेरी	505	417	478	405	484	410	467	354
लक्षद्वीप	11	7	11	7	11	7	10	7
दक्षिणी क्षेत्र	**64,103**	**49,472**	**60,839**	**46,107**	**62,166**	**49,357**	**57,208**	**43,065**
बिहार	8,049	5,776	7,911	5,919	6,575	4,659	5,218	3,540
डीवीसी	3,394	3,104	3,451	3,185	3,312	2,955	3,183	2,623
झारखंड	2,193	1,754	1,960	1,711	1,830	1,608	1,788	1,513
ओडिशा	6,124	4,979	5,926	5,049	5,826	4,964	5,160	4,193
पश्चिम बंगाल	11,037	8,887	10,377	8,962	9,958	8,038	8,559	6,602
सिक्किम	93	47	94	52	80	42	107	56
अंडमान-निकोबार	61	44	62	41	63	43	64	45
पूर्वी क्षेत्र	**29,958**	**24,553**	**28,920**	**24,881**	**26,833**	**22,267**	**23,216**	**18,528**
अरुणाचल प्रदेश	155	112	163	124	167	124	160	115
असम	2,353	1,807	2,413	1,900	2,237	1,475	1,932	1,181
मणिपुर	209	108	209	110	214	110	208	111
मेघालय	322	244	331	229	336	242	363	259
मिजोरम	126	71	129	68	141	71	144	81
नागालैंड	174	120	172	120	166	110	147	96
त्रिपुरा	330	226	346	240	349	217	303	171
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**3,502**	**2,690**	**3,678**	**2,792**	**3,418**	**2,350**	**3,024**	**2,015**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उच्चतम मांग और औसत मांग का माहवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	दिसंबर, 2023		जनवरी, 2024		फरवरी, 2024		मार्च, 2024	
	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)
चंडीगढ़	201	158	348	212	304	167	237	146
दिल्ली	4,884	2,996	5,816	3,684	5,406	3,142	4,482	2,980
हरियाणा	8,225	6,034	9,530	6,767	8,868	6,201	7,747	5,767
हिमाचल प्रदेश	2,162	1,551	2,181	1,563	2,133	1,515	1,982	1,328
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2,904	2,448	3,181	2,732	3,071	2,446	2,896	2,303
पंजाब	8,041	5,768	9,370	6,588	10,180	6,350	10,112	6,151
राजस्थान	17,570	12,541	18,128	13,657	17,867	13,152	17,030	12,002
उत्तर प्रदेश	19,874	13,225	22,703	15,869	20,346	13,505	21,243	14,180
उत्तराखंड	2,417	1,703	2,635	1,922	2,523	1,757	2,260	1,617
उत्तरी क्षेत्र	**61,380**	**46,574**	**69,559**	**53,141**	**63,481**	**48,393**	**60,002**	**46,639**
छत्तीसगढ़	4,726	3,763	5,338	4,543	5,819	5,192	6,148	5,334
गुजरात	21,430	15,750	21,861	16,009	21,248	16,321	21,843	17,436
मध्य प्रदेश	17,819	12,054	18,252	13,096	16,998	12,817	13,594	10,814
महाराष्ट्र	27,755	21,822	28,651	23,409	28,969	24,689	28,795	25,223
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,281	1,185	1,294	1,185	1,304	1,213	1,283	1,166
गोवा	704	570	721	561	749	597	767	612
पश्चिमी क्षेत्र	**74,483**	**56,454**	**74,583**	**60,113**	**73,830**	**62,137**	**70,528**	**61,844**
आंध्र प्रदेश	11,052	7,769	12,216	8,591	13,061	9,104	13,237	9,497
तेलंगाना	12,666	8,649	13,810	10,194	15,164	11,024	15,622	11,974
कर्नाटक	15,005	10,405	15,668	11,172	16,632	12,547	17,212	13,340
केरल	4,260	3,429	4,340	3,421	4,827	3,711	5,284	4,102
तमिलनाडु	15,558	12,572	16,621	13,007	17,996	15,027	19,041	16,365
पुदुचेरी	431	354	453	344	465	386	467	401
लक्षद्वीप	10	7	11	7	12	7	12	8
दक्षिणी क्षेत्र	**57,275**	**43,183**	**60,891**	**46,733**	**65,820**	**51,805**	**68,094**	**55,685**
बिहार	5,041	3,512	5,715	4,132	5,115	3,691	5,869	3,892
डीवीसी	3,271	2,945	2,974	2,991	3,231	2,972	3,336	2,991
झारखंड	1,810	1,487	1,908	1,613	1,836	1,512	1,995	1,537
ओडिशा	5,071	3,459	5,041	4,020	5,393	4,355	6,138	5,072
पश्चिम बंगाल	6,903	6,025	7,268	6,016	7,608	6,292	9,956	7,127
सिक्किम	109	72	128	84	133	85	119	75
अंडमान-निकोबार	63	43	63	43	65	48	65	45
पूर्वी क्षेत्र	**22,011**	**17,503**	**23,044**	**18,858**	**23,650**	**18,913**	**27,079**	**20,700**
अरुणाचल प्रदेश	163	126	181	119	186	128	177	120
असम	1,553	1,099	1,538	1,142	1,636	1,192	1,810	1,186
मणिपुर	236	131	258	151	252	137	226	123
मेघालय	349	267	405	276	399	270	399	244
मिजोरम	140	83	162	94	155	92	136	81
नागालैंड	162	100	163	95	156	99	158	92
त्रिपुरा	240	156	354	164	262	157	288	166
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**2,769**	**1,963**	**2,928**	**2,042**	**2,861**	**2,076**	**3,126**	**2,012**

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1754
अनुबंध-II(7/9)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उच्चतम मांग और औसत मांग का माहवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल,2024		मई,2024		जून,2024		जुलाई,2024	
	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)
चंडीगढ़	258	181	432	282	449	330	434	321
दिल्ली	5,447	3,972	8,302	5,655	8,656	6,313	8,175	5,860
हरियाणा	9,502	6,516	12,451	9,192	14,469	10,834	14,662	11,240
हिमाचल प्रदेश	1,819	1,354	1,827	1,510	1,919	1,678	1,888	1,695
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2,924	2,112	2,878	2,214	2,902	2,288	2,635	2,218
पंजाब	9,914	6,323	14,366	9,687	16,058	12,105	16,006	13,827
राजस्थान	14,283	11,300	17,567	13,898	17,774	14,533	16,371	13,055
उत्तर प्रदेश	25,462	18,331	29,727	23,602	30,618	25,200	30,298	23,316
उत्तराखंड	2,357	1,809	2,781	2,235	2,863	2,379	2,545	2,101
उत्तरी क्षेत्र	**62,884**	**52,074**	**86,305**	**68,461**	**91,592**	**75,850**	**87,468**	**73,821**
छत्तीसगढ़	6,367	5,582	6,073	4,863	5,438	4,980	5,948	4,901
गुजरात	23,933	18,799	24,922	19,549	25,588	19,253	19,991	15,896
मध्य प्रदेश	13,151	11,310	14,309	12,339	13,953	11,212	12,748	10,376
महाराष्ट्र	28,924	25,840	28,452	24,335	28,310	23,198	24,174	19,992
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,292	1,202	1,348	1,241	1,353	1,261	1,343	1,241
गोवा	803	678	803	692	799	608	697	547
पश्चिमी क्षेत्र	**73,511**	**64,694**	**74,829**	**64,278**	**74,933**	**61,742**	**62,168**	**54,216**
आंध्र प्रदेश	13,418	9,821	13,712	9,517	12,578	8,823	10,901	8,560
तेलंगाना	13,916	10,094	11,257	8,142	11,244	8,287	13,541	9,206
कर्नाटक	17,015	13,213	16,826	10,479	14,357	8,890	13,820	8,696
केरल	5,904	4,529	5,797	3,818	4,383	3,377	4,167	3,174
तमिलनाडु	20,326	17,911	20,784	16,014	18,501	15,090	18,197	15,095
पुदुचेरी	530	455	549	446	527	430	512	422
लक्षद्वीप	12	8	13	9	12	8	11	7
दक्षिणी क्षेत्र	**67,086**	**56,030**	**66,163**	**48,421**	**59,066**	**44,903**	**56,134**	**45,158**
बिहार	6,949	5,393	7,485	5,649	7,604	6,346	7,998	6,255
डीवीसी	3,288	3,026	3,409	3,107	3,482	3,157	3,557	3,067
झारखंड	2,133	1,824	2,295	1,886	2,289	1,990	2,224	1,845
ओडिशा	6,609	5,445	6,867	5,543	6,905	5,480	6,200	4,984
पश्चिम बंगाल	12,645	9,767	12,192	9,013	12,187	9,928	11,457	9,484
सिक्किम	111	66	104	67	99	59	90	54
अंडमान-निकोबार	68	54	70	51	63	44	64	47
पूर्वी क्षेत्र	**31,435**	**25,527**	**31,054**	**25,272**	**31,488**	**26,967**	**30,384**	**25,694**
अरुणाचल प्रदेश	186	104	198	115	170	117	186	120
असम	2,012	1,380	2,405	1,516	2,392	1,656	2,524	1,845
मणिपुर	214	118	227	115	225	130	213	112
मेघालय	409	230	396	215	330	229	359	233
मिजोरम	130	78	130	77	126	73	130	79
नागालैंड	166	93	177	108	184	120	189	127
त्रिपुरा	363	232	386	221	353	226	359	247
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**3,337**	**2,235**	**3,652**	**2,367**	**3,579**	**2,553**	**3,764**	**2,764**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उच्चतम मांग और औसत मांग का माहवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अगस्त, 2024		सितंबर, 2024		अक्तूबर, 2024		नवंबर, 2024	
	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)	उच्चतम मांग (मेगावाट)	औसत मांग (मेगावाट)
चंडीगढ़	418	288	397	262	298	189	221	151
दिल्ली	6,890	5,294	6,785	4,927	6,161	4,360	4,259	3,116
हरियाणा	12,703	9,690	12,414	8,965	11,087	8,281	7,848	6,030
हिमाचल प्रदेश	1,732	1,554	1,884	1,603	1,947	1,494	2,107	1,466
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	2,726	2,083	3,236	2,186	3,068	2,026	2,836	2,282
पंजाब	15,307	12,319	15,310	11,749	14,311	8,364	8,755	5,892
राजस्थान	13,409	10,463	16,292	12,343	16,206	13,225	17,434	13,375
उत्तर प्रदेश	29,126	22,056	29,347	20,114	26,756	19,279	19,929	14,623
उत्तराखंड	2,482	2,025	2,564	1,974	2,412	1,816	2,249	1,616
उत्तरी क्षेत्र	**77,380**	**65,954**	**80,678**	**64,313**	**73,686**	**59,218**	**61,028**	**48,737**
छत्तीसगढ़	5,478	4,494	5,873	4,933	5,916	5,232	4,580	3,826
गुजरात	21,918	15,815	24,205	16,630	22,092	16,578	21,493	16,002
मध्य प्रदेश	11,822	9,872	12,677	10,231	13,610	10,879	17,941	13,141
महाराष्ट्र	28,074	20,236	30,049	21,157	26,632	21,854	27,845	22,353
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,321	1,209	1,356	1,249	1,390	1,253	1,343	1,209
गोवा	690	589	718	573	741	615	743	605
पश्चिमी क्षेत्र	**67,019**	**53,481**	**69,843**	**56,006**	**68,640**	**57,721**	**72,959**	**58,454**
आंध्र प्रदेश	11,830	9,178	12,436	8,903	11,545	8,556	11,024	8,555
तेलंगाना	15,573	10,923	15,470	9,670	14,003	9,619	11,209	8,297
कर्नाटक	12,580	8,864	16,061	9,618	12,850	8,495	14,853	9,798
केरल	4,247	3,337	4,545	3,433	4,440	3,449	4,489	3,500
तमिलनाडु	17,843	14,777	19,171	15,838	17,835	13,843	16,570	13,152
पुदुचेरी	514	420	536	433	501	400	465	376
लक्षद्वीप	11	7	12	7	11	7	11	7
दक्षिणी क्षेत्र	**57,854**	**47,505**	**64,921**	**47,898**	**58,678**	**44,366**	**53,831**	**43,684**
बिहार	7,666	5,926	8,078	5,613	7,224	5,438	6,076	3,910
डीवीसी	3,552	2,914	3,579	2,979	3,456	2,931	3,172	2,712
झारखंड	2,107	1,720	2,161	1,734	2,210	1,754	2,033	1,560
ओडिशा	5,938	4,927	6,078	5,108	6,229	5,341	5,705	4,261
पश्चिम बंगाल	10,784	8,647	11,804	8,927	11,250	8,023	8,765	6,505
सिक्किम	116	51	95	54	101	54	112	63
अंडमान-निकोबार	64	47	68	49	67	46	65	47
पूर्वी क्षेत्र	**28,798**	**24,191**	**27,798**	**24,420**	**29,521**	**23,547**	**25,930**	**19,017**
अरुणाचल प्रदेश	195	133	194	129	170	101	167	109
असम	2,617	1,854	2,812	1,945	2,266	1,440	1,850	1,231
मणिपुर	214	100	236	108	227	108	233	110
मेघालय	346	232	318	189	355	208	370	258
मिजोरम	152	73	148	78	136	76	145	78
नागालैंड	183	108	184	118	176	104	178	100
त्रिपुरा	344	282	376	246	333	230	310	183
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**3,861**	**2,781**	**3,959**	**2,813**	**3,487**	**2,269**	**3,151**	**2,070**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उच्चतम मांग और औसत मांग का माहवार विवरण

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	दिसंबर, 2024		जनवरी, 2025		फरवरी, 2025		मार्च, 2025	
	उच्चतम मांग	औसत मांग	उच्चतम मांग	औसत मांग	उच्चतम मांग	औसत मांग	उच्चतम मांग	औसत मांग
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
चंडीगढ़	283	173	312	185	265	160	229	147
दिल्ली	5,213	3,174	5,655	3,476	4,657	3,038	4,361	3,117
हरियाणा	9,351	6,216	9,157	6,351	9,602	6,538	8,750	6,108
हिमाचल प्रदेश	2,254	1,624	2,273	1,606	2,193	1,579	2,075	1,419
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	3,157	2,658	3,148	2,795	3,057	2,574	3,095	2,483
पंजाब	9,381	6,295	9,869	6,388	10,165	6,371	10,083	6,522
राजस्थान	18,643	13,422	18,752	13,601	19,165	14,361	17,763	12,478
उत्तर प्रदेश	20,666	13,903	22,034	15,193	20,456	14,762	21,869	15,470
उत्तराखंड	2,504	1,790	2,568	1,829	2,477	1,761	2,202	1,626
उत्तरी क्षेत्र	**68,491**	**49,430**	**69,164**	**51,599**	**68,573**	**51,305**	**65,384**	**49,381**
छत्तीसगढ़	5,169	4,144	5,906	4,776	6,181	5,557	6,511	5,949
गुजरात	22,461	16,577	23,929	16,851	23,780	17,868	24,395	18,329
मध्य प्रदेश	19,371	13,530	18,593	13,608	18,596	14,525	16,622	12,246
महाराष्ट्र	28,632	22,800	29,836	23,722	30,151	25,169	30,675	26,023
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,362	1,251	1,353	1,242	1,356	1,264	1,377	1,245
गोवा	749	595	754	598	766	631	810	681
पश्चिमी क्षेत्र	**77,574**	**60,168**	**80,613**	**62,069**	**80,861**	**66,283**	**78,082**	**65,994**
आंध्र प्रदेश	10,526	7,960	12,087	8,512	12,737	9,751	13,108	10,194
तेलंगाना	14,375	10,078	15,205	10,974	16,601	12,515	17,162	13,210
कर्नाटक	15,353	9,910	17,757	11,742	18,350	13,202	18,398	13,973
केरल	4,466	3,419	4,515	3,499	5,006	3,751	5,341	4,061
तमिलनाडु	15,997	12,776	16,992	13,101	18,322	15,160	19,679	15,998
पुदुचेरी	453	348	423	344	449	377	483	410
लक्षद्वीप	12	8	12	8	12	8	13	9
दक्षिणी क्षेत्र	**57,460**	**44,495**	**64,947**	**48,177**	**68,706**	**54,760**	**69,938**	**57,851**
बिहार	5,252	3,737	5,702	4,142	5,388	4,010	6,148	4,324
डीवीसी	3,605	2,842	3,708	2,925	3,649	2,885	3,662	2,917
झारखंड	2,051	1,571	2,103	1,632	2,026	1,621	2,108	1,684
ओडिशा	5,024	3,983	5,203	4,206	5,435	4,499	5,965	4,950
पश्चिम बंगाल	7,197	5,798	7,789	6,376	8,270	6,814	10,675	8,182
सिक्किम	126	78	138	82	137	86	121	73
अंडमान-निकोबार	64	47	64	46	64	52	71	53
पूर्वी क्षेत्र	**22,929**	**18,015**	**23,778**	**19,371**	**23,887**	**19,923**	**27,760**	**22,138**
अरुणाचल प्रदेश	167	118	196	127	218	140	180	127
असम	1,537	1,108	1,577	1,146	1,644	1,183	1,911	1,271
मणिपुर	269	151	267	154	248	145	213	129
मेघालय	378	270	393	275	352	231	343	232
मिजोरम	162	93	168	94	160	90	151	84
नागालैंड	173	106	171	100	173	104	164	98
त्रिपुरा	239	215	234	172	252	184	318	214
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**2,912**	**2,062**	**2,990**	**2,069**	**2,890**	**2,079**	**3,276**	**2,156**

****

<u>रा.स.अतारां.प्र.सं. 1754</u>

<u>अनुबंध-III</u>

अंतर-राज्यीय और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली के अंतर्गत दिनांक 30.06.2025 तक पारेषण प्रणाली (220 केवी और उससे अधिक) का विवरण

	अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली	**अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली**
पारेषण लाइनें (सीकेएम)	2,14,677	2,80,728
ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (एमवीए)	5,68,205	7,91,498

****